Joint Inspection Report of Mining activity in Village- Saimalchaur and Pattapani ,P.O. Bailpadao, District- Nainital (Uttarakhand)

in the matter of

Mamta Chourasia & Ors. Vs State of Uttarakhand

in

OA no. 798 of 2022(M.A. No. 34/2023)

Background

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 10 May 2023 in the matter of Mamta Chourasia & Ors. Vs State of Uttarakhand (O. A. No. 798/2022, MA No. 34/2023) passed order to take further action on illegal mining at village Semalchaud and Pattapani. Tehsil Kaladungi, District Nainital. Relevant para of Hon'ble NGT order is as below-

"....4. Accordingly, we direct a joint committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Nainital to take further action in this regard. State PCB will be nodal agency for coodrination. Action taken report be filed by 31.07.2023 by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with a copy to the alleged violators for their response, if any, before 15.08.2023.

*List for further consideration on **22.08.2023**...."*

Copy of the reference NGT order is annexed as **Annexure no. 1.**

In compliance of referred NGT order, following member are nominated:

1. Shri. Runa Oraon, Sci. "D", CPCB, Lucknow (Representative of Central Pollution Control Board)
2. Dr. D. K. Joshi. Regional Officer, UKPCB, RO, Haldwani (Representative of Uttarakhand Pollution Control Board)
3. Smt. Rekha Kohli, S.D.M., Kaladungi, (Representative of District Magistrate, Nainital)
4. Shri. Tajber Singh Negi, Mining Officer, Nainital, (Representative of District Magistrate, Nainital)

Meeting and joint inspection of following six permitted sites were carried out on date 13.07.2023 :

1. Himmat Singh, S/o Kartar Singh, Village- Pattapani, Tehsil- Kaladungi, District Nainital
2. Subhash Chandra, S/o Tikaram, Village- Durgapalpur, Motiram Tehsil -Lalkuwan, District- Nainital

3. Kripal Singh, S/o Kartar Singh, Village- sood Colony, Tehsil- Bazpur , District- Udham Singh Nagar
4. Karam Singh, S/o Suchha Singh, Village -Saimalchaur, Bailpadaon ,Tehsil- Kaladungi, District- Nainital
5. Rajendra Singh, S/o Santosh Singh, Village- Saimalchaur, Bailpadaon Tehsil- Kaladungi, District -Nainital
6. Sukhraj Singh, S/o Kulwant Singh, Village Banna Khera, Tehsil- Bazpur, , District- Udham Singh Nagar

During inspection ,heavy rain fall occured in Ramnagar area and all mining pits was filled with rain water. Hence ,measurement of pits could not carried out. Finding of the joint committee based on field visit and documents provided by Revenue and Mining Department are as below: -

1. Himmat Singh S/o Kartar Singh, Village- Pattapani, Tehsil Kaladungi, District Nainital: -

1.1 The site is located at Khasra No. 160/1म, 160/स0मि0, 161/3 मि0, 173/2मि0 , 174/2, 175/1 (total rakba - 4.155 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Bailpadao Road (motor marg).

1.2 Uttarakhand Govt. vide its order dated 12.11.2021 granted permission for levelling of above said land with effective area of 2.337 Ha for six months based on inspection dated 12.08.2021 carried out by Revenue department, Geology and Mining department, Irrigation department, agriculture department, Forest department and SDM (Sub Divisional Magistrate) (Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-2 & 3 respectively**.

1.3 As per report dated 12.08.2021, irrigation canal/gool is located on East and West side of the site. Village, School, and Temple are located more than 100 meters of the proposed site.

1.4 Permission was granted for the period of 12.11.2021 to 11.05.2022. It is informed by the District Administration, no excavation activity undertaken beyond this period.

1.5 Permission was granted based on memorandum issued by the Industrial development division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021(**Annexure-4**), wherein no EC required for levelling of land.

1.6 Permission was granted for excavation of mineral upto depth of 06 m as proposed by the Project Proponent with total expected quantity of 2,24,352 m^3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department, memorandum issued by Industrial

development, division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted for levelling of land.

1.7 In compliance of Hon'ble High Court, Nainital order dated 01.12.2021 in the matter of Writ Petition No. 200/2021 Harkesh Kumar Vs State and others, joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 27.12.2021, wherein it was found that 21945 m^3 of mineral is illegally excavated with 02 m excess depth as against permitted depth of 06 m. District Magistrate, Nainital issued notice on 08.02.2022 for depositing penalty of amount Rs. 67,59,245/- (Sixty-seven Lakh fifty-nine thousand two hundred and forty-five rupees only). Project Proponent has submitted the penalty amount on 23.03.2022. Copy of the report and notice is attached as Annexure-5 & 6 respectively. Geology and Mining department has revised penalty from Rs. 67,59,245/- to Rs. 1,01,38,868/- and requested DM Nainital wide letter dt.19 july 2023 for issue of revised notice. Copy of letter annexed as Annexure 6-B

1.8 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 26.04.2022, wherein 1,35,792 m^3 mineral is illegally excavated with depth of 15 m (except 6 m permitted depth and 02 m illegal excavated depth measured in earlier inspection dated 27.12.2021) as against permitted depth of 06 m. Committee has suggested for penalty of Rs. 10,45,59,840/- (Ten Crore forty-five lakh fifty-nine thousand eight hundred forty rupees only). Copy of report is annexed as **Annexure-7.**

1.9 District Magistrate, Nainital has issued show cause notice for illegal excavation and penalty on 05.05.2022 to the Project Proponent based on inspection carried out on 26.04.2022. The Project Proponent has not replied for show cause notice and also not submitted the penalty amount. District Administration should take necessary action against the Project Proponent to ensure recovery of penalty.

1.10 District Magistrate, Nainital has issued notice to the Project Proponent on 23.09.2022 for fencing and levelling of the site. However, no action has been taken by the Project Proponent so far. Project Proponent may be directed by District Administration to level/reclaim the excavated site at the earliest.

1.11 District Magistrate, Nainital has requested Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. for guideline for fencing and levelling of sites permitted for levelling of land vide letter dated 03.11.2022. Reply of the letter is yet to received. Copy of letter is annexed as **Annexure-8**. Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. may be requested to provide the guideline at the earliest.

1.12 It was observed that Project Proponent has excavated very large area (100m X 28 m X 15 m and 37 m X 34 m X 15 m and additionally 40 m X 40 m X 15 m) and made large pit by illegal mining activity in the name of levelling of land .

1.13 Environmental Compensation (EC) is calculated by Pollution Control Board as per documents provided by mining department **(Annexure-9 A)**, which is approximate Rs 12,75,42,355/- (Twelve Crore seventy-five lakh forty two thousand three hundred fifty five rupees only) as per methodology suggested by the Hon'ble NGT vide order dated 26.02.2021 in the matter of O. A. No. 360 of 2015 (13 clubbed case). UKPCB may take necessary action for recovery of Environmental Compensation. Calculation sheet is attached as **Annexure-9 B.**

2 Subhash Chandra S/o Tikaram, Village Durgapalpur, Motiram, Tehsil Lalkuwan Distric Nainital: -

2.1 The site is located at Khasra No. 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 (Total rakba - 5.017 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Bailparao Road (motor marg).

2.2 Uttarakhand Govt. vide its order dated 23.12.2021 granted permission for levelling of above said land with effective area of 2.470 Ha for six months based on inspection dated 11.11.2021 carried out by Revenue department, Geology & Mining Department, and SDM (Sub Divisional Magistrate) .Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-10** & 11 respectively.

2.3 As per report dated 11.11.2021, the proposed land is registered as agricultural land, and it is surrounded by agricultural land. Irrigation canal/ gool, Temple and school are more than 100 meters from the proposed site.

2.4 Permission was granted for the period of 23.12.2021 to 12.06.2022. It is informed by the District Administration, no excavation activity undertaken beyond this period.

2.5 Permission was granted on the basis of memorandum issued by the Industrial development division-1(औधोगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021 **(Annexure-4)**, wherein no EC required for levelling of land.

2.6 Permission was granted for excavation of mineral upto depth of 07 m as proposed by the Project Proponent with total expected quantity of 2,76,640 m^3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department, memorandum issued by Industrial development, division-1(औधोगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted for levelling of land.

2.7 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 26.03.2022, wherein 1,53,920 m^3 of RBM is illegally excavated with 05 m & 04 m excess depth as against permitted depth of 07 m. District Magistrate, Nainital issued notice on 11.04.2022 for depositing penalty of amount Rs. 11,85,18,400/-(Eleven Crore eighty five Lakh, eighteen thousand, four hundred rupees only). Project Proponent has not submitted the penalty amount. Copy of notice is attached as Annexure-12.

2.8 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 26.04.2022, wherein 1,74,400 m3 mineral is illegally excavated. Committee has suggested for penalty of Rs. 13,42,88,400/- (Thirteen Crore forty-two lakh eighty-eight thousand four hundred rupees only). Copy of report is annexed as **Annexure-13.**

2.9 District Magistrate, Nainital has issued show cause notice on for illegal excavation and penalty 05.05.2022 to the Project Proponent based on inspection carried out on 26.04.2022. The Project Proponent has not replied for the show cause notice and also not submitted the penalty amount. Copy attached as **Annexure-14.** District Administration should take necessary action against the Project Proponent to ensure recovery of all penalty.

2.10 District Magistrate, Nainital has issued notice to the Project Proponent on 23.09.2022 for fencing and levelling of the site. However, no action has been taken by the Project Proponent so far. Project Proponent may be directed by District Administration to level/reclaim the site at the earliest.

2.11 District Magistrate, Nainital has requested Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. for guideline for fencing and levelling of sites permitted for levelling of land vide letter dated 03.11.2022. Reply of the letter is yet to received. Copy of letter is annexed as **Annexure-8.** Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. may be requested to provide the guideline at the earliest.

2.12 It was observed that Project Proponent has excavated a Pit of dimension(100m X 90 m X 5 m and 160 m X 80 m X 5) by illegal mining activity in the name of levelling of land.

2.13 Environmental Compensation is calculated by Pollution Control Board as per documents provided by mining department **(Annexure-9A)**, which is approximate Rs 26,54,71,677/- (Twenty-six Crore fifty-four lakh seventy-one thousand six hundred seventy-seven rupees only) as per methodology suggested by the Hon'ble NGT vide 26.02.2021 in the matter of O. A. No. 360 of 2015 (13 clubbed case). State government may take necessary action for recovery of Environmental Compensation. Calculation sheet is attached as **Annexure-9B.**

3. **Kripal Singh, S/o Kartar Singh, Village- Sood Colony, Tehsil -Bazpur, District- Udham Singh Nagar: -**

3.1 The site is located at Khata No. 78 Khasra No. 231/5, Khata No. 85 Khasra No. 231/4/2 and Khata No. 29 Khasra No. 231/3/1 (Total rakba – 5.895 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Bailparao Road (motor marg).

3.2 As per report dated 08.10.2021. Project Proponent has applied for the construction of the hotel basement.

3.3 District Magistrate. Nainital vide its order dated 22.10.2021 granted permission for excavation of above said land with effective area of 0.753 Ha for three months based on inspection dated 08.10.2021 carried out by Revenue Department, Geology and Mining Department. Forest Department and SDM (Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-15 & 05** respectively. Permission was granted for the period of 22.10.2021 to 21.01.2022 for construction of hotel basement parking. It is informed by the District Administration. no mining activity undertaken beyond this period. During visit. only large pit was observed and no construction activity was observed.

3.4 It is informed by Mining Department, permission was granted on the basis of memorandum issued by the Industrial development division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021 (**Annexure-4**), wherein no EC required for said purpose.

3.5 Permission was granted for excavation of RBM upto depth of 12 m as proposed by the Project Proponent with total expected quantity of 1,44,693 m^3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department. memorandum issued by Industrial development. division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted.

3.6 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 25.11.2021. wherein 10,080 m^3 of mineral is illegally excavated with 02 m excess depth as against permitted depth of 12 m. Committee has suggested penalty of Rs. 31,04,640/-.

3.7 In compliance of Hon'ble High Court. Nainital order dated 01.12.2021 in the matter of Writ Petition No. 200/2021 Harkesh Kumar Vs State and others, joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 27.12.2021, wherein 2,00,547 m^3 mineral is illegally excavated with depth of 15 as against permitted depth of 12 m. Committee has suggested for penalty of Rs. 15,44,21,400/- (Fifteen Crore forty four Lakh, twenty one thousand. four hundred rupees only) and suspension of permission. Copy of report is annexed as **Annexure-5.**

3.8 District Magistrate, Nainital issued notice on 05.01.2022 for depositing penalty of amount Rs. 31,04,640/- (Thirty-one Lakh, four thousand, six hundred forty rupees only). Project Proponent has not submitted the penalty amount. Copy of notice is attached as Annexure-16.

3.9 District Magistrate, Nainital has issued notice on 07.01.2022 to the Project Proponent based on inspection carried out on 25.11.2021 and 27.12.2021 for penalty amount 31,04,640/- and 15,44,21,400/-. The Project Proponent has not replied for the show cause notice and also not submitted the penalty amount. District Administration should take necessary action against the Project Proponent to ensure recovery of all penalty.

3.10 District Magistrate, Nainital has issued notice to the Project Proponent on 23.09.2022 for fencing and levelling of the site. However, no action has been taken by the Project Proponent so far. Project Proponent may be directed by District Administration to level/reclaim the site at the earliest.

3.11 District Magistrate, Nainital has requested Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. for guideline for filling and levelling of mining sites permitted for levelling of land vide letter dated 03.11.2022. Reply of the letter is yet to received. Copy of letter is annexed as **Annexure-8**. Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. may be requested to provide the guidelines at the earliest.

3.12 It was observed that Project Proponent has made excavated very large area 126 m X 117.5 m X 15 m as against permitted area of 114.60 m X 65.76m X 12 m and made large pit by illegal mining activity in the name of construction of basement parking.

3.13 Environmental compensation is calculated by Pollution Control Board as per documents provided by mining department **(Annexure-9A)**, which is approximate Rs 17,03,07,940/- (Seventeen Crore three lakh seven thousand nine hundred forty rupees only) as per methodology suggested by the Hon'ble NGT vide 26.02.2021 in the matter of O. A. No. 360 of 2015 (13 clubbed case). UKPCB may take necessary action for recovery of Environmental Compensation. Calculation sheet is attached as **Annexure-9B**.

4 **Karam Singh, S/o Suchha Singh, Village- Sailamchaud, Bailpadao, Tahsil -Kaladungi, District -Nainital: -**

4.1 The site is located at Khata No. 14 Khasra No. 121 मि, 88 मि and 89 मि, and Khata No. 32 Khasra No. 88 मि, and 89 मि (Total rakba – 0.241 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Bailparao Road (motor marg).

4.2 District magistrate, Nainital vide its order dated 22.10.2021 granted permission for construction of basement on above said land with effective area of 0.241 Ha for three months based on inspection dated 01.10.2021 carried out by Revenue Department, Geology & Mining Department, and SDM (Sub Divisional Magistrate) (Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-17 & 18** respectively. Permission was granted for the period of 22.10.2021 to 21.01.2022 for construction of basement. It is informed by the District Administration, no excavation activity undertaken beyond this period. During visit, only large pit was observed..

4.3 Permission was granted on the basis of memorandum issued by the Industrial development division-1(औधोगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021 (**Annexure-4**), wherein no EC required for levelling of land.

4.4 Permission was granted for excavation of RBM upto depth of 9.14 m as proposed by the Project Proponent with total expected quantity of 35,214 m^3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department, memorandum issued by Industrial development. division-1(औधोगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted.

4.5 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 25.11.2021, wherein 2856.96 m^3 of mineral is illegally excavated with 1.86 m excess depth as against permitted depth of 9.14 m. Committee has suggested for penalty of Rs. 8,79,944/- (Eight Lakh, seventy-nine thousand, nine hundred forty-four rupees only). District Magistrate has issued notice to Project Proponent on 05.01.2022 for penalty. Project Proponent has not submitted the penalty amount.

4.6 In compliance of Hon'ble High Court, Nainital order dated 01.12.2021 in the matter of Writ Petition No. 200/2021 Harkesh Kumar Vs State and others, joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 27.12.2021, wherein 14166.04 m^3 and 8512 m^3 (Total-22678.04 m^3) mineral is illegally excavated. Committee has suggested for penalty of Rs. 6984836/- (Sixty-nine lakh eighty-four thousand eight hundred thirty-six rupees only). Copy of report is annexed as **Annexure-5.**

4.7 District Magistrate, Nainital issued a revised notice on 20.04.2023 for depositing penalty of amount Rs. 1,04,77,253/- (One Crore four lakh seventy-seven thousand two hundred fifty-three rupees only.) Project Proponent has not submitted the penalty amount. Copy of notice is attached as Annexure-**19**. District Administration should take necessary action against the Project Proponent to ensure recovery of all penalty.

4.8 District Magistrate, Nainital has issued notice to the Project Proponent on 23.09.2022 for fencing and levelling of the site. However, no action has been taken by the Project Proponent so far. Project Proponent may be directed by District Administration to level/reclaim the site at the earliest.

4.9 District Magistrate, Nainital has requested Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. for guideline for filling and levelling of sites permitted for levelling of land vide letter dated 03.11.2022. Reply of the letter is yet to received. Copy of letter is annexed as **Annexure-8**. Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. may be requested to provide the guidelines at the earliest.

4.10 During visit, it was observed that Project Proponent has excavated large pit by illegal mining activity in the name of construction of basement.

4.11 Environmental compensation is calculated by Pollution Control Board as per documents provided by mining department **(Annexure-9A)**, which is approximate Rs 2,06,46,988/- (Two Crore six lakh forty six thousand nine hundred eighty eight rupees only) as per methodology suggested by the Hon'ble NGT vide 26.02.2021 in the matter of O. A. No. 360 of 2015 (13 clubbed case). UKPCB may take necessary action for recovery of Environmental Compensation. Calculation sheet is attached as **Annexure-9B.**

5 Rajendra Singh S/o Santosh Singh, Village-Saimalchaur, Bailpadao, Tehsil Kaladhungi, District Nainital: -

5.1 The site is located at Khata No.78, Khasra no. 231/5, 230/5/1, Khata No.85 Khasra No.231/4/2, 230/4, Khata No.29 Khasra No.231/3/1 (Total rakba – 7.128 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Bailparao Road (motor marg).

5.2 As per report dated 30.10.2021, School, Canal, Temple are more than 100 meters of the proposed site.

5.3 Uttarakhand Govt. vide its order dated 23.12.2021 granted permission for levelling of above said land with effective area of 2.430 Ha for six months based on inspection dated 30.10.2021 carried out by District Administration and Mining Department (Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-20 & 21** respectively. Permission was granted for the period of 23.12.2021 to 12.06.2022. It is informed by the District Administration, no excavation activity undertaken beyond this period.

5.4 Permission was granted on the basis of memorandum issued by the Industrial development division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021 (**Annexure-4**), wherein no EC required for levelling of land.

5.5 Permission was granted for excavation of RBM as proposed by the Project Proponent with 583200 m3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department, memorandum issued by Industrial development, division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted for levelling of land.

5.6 Project Proponent has not started excavation activity at the proposed site.

6. Sukhraj Singh S/o Kulwant Singh, Village-Banna Khera, Tehsil Bazpur, District- Udham Singh Nagar:-

6.1 The site is located at Khasra No. 168, 169 and 170 (Total rakba – 1.718 Ha). The site is adjacent to the Bazpur Kaladungi Road (motor marg).

6.2 As per report dated 10.12.2021, irrigation canal/ gool, Temple, school are more than 100 meters of the proposed site.

6.3 Uttarakhand Govt. vide its order dated 05.01.2022 granted permission for levelling of above said land with effective area of 0.800 Ha for six months based on inspection dated 10.12.2021 carried out by Revenue department, Geology & Mining department, and SDM (Sub Divisional Magistrate) (Copy of permission and inspection report is annexed as **Annexure-22 & 23** respectively. Permission was granted for the period of 05.01.2022 to 30.06.2022. It is informed by the District Administration, no mining activity undertaken beyond this period.

6.4 Permission was granted for excavation of RBM upto depth of 10 m as proposed by the Project Proponent with total expected quantity of 128000 m^3 (considering soil factor 1.6) of RBM. It is informed by the Mining Department, memorandum issued by Industrial development, division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) for the said purpose has not mentioned any depth to be restricted.

6.5 Permission was granted on the basis of memorandum issued by the Industrial development division-1(औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1) dated 28.10.2021 (**Annexure-4**), wherein no EC required for levelling of land.

6.6 District Magistrate, Nainital has issued notice to the Project Proponent on 23.09.2022 for fencing and levelling of the site. However, no action has been taken by the Project Proponent

so far. Project Proponent may be directed by District Administration to level/reclaim the site at the earliest.

6.7 Joint inspection of the site was carried out by District Administration and Mining Department on 26.03.2022 & 09.11.2022, wherein excavation was observed within permitted area.

6.8 District Magistrate, Nainital has requested Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. for guideline for filling and levelling of mining sites permitted for levelling of land vide letter dated 03.11.2022. Reply of the letter is yet to received. Copy of letter is annexed as **Annexure-8**. Secretary, Industrial Development (Mining) Division-1, Uttarakhand Govt. may be requested to provide the guidelines at the earliest.

6.9 During visit, it was observed that Project Proponent has excavated large pit by mining activity in the name of levelling of land.

6.10 Environmental Compensation has not been calculated as no excess mining with respect of quantity and depth was reported by Mining Department.

Note- It is to be informed that earlier a joint inspection was carried out by revenue department, mining department and forest department. On the basis of illegal mining activities done by the project proponent at the proposed site, penalty was imposed by Revenue and Mining Department , reports of which had been sent to District Magistrate to take further action.

On 13.07.2023 a joint re-inspection was carried out by Revenue Department , Mining Department , UKPCB and CPCB Luck now. In addition to the penalty imposed by Revenue and Mining Department earlier, Pollution Control Board has calculated & recommended the environmental compensation as per methodology suggested by the Hon'ble NGT vide 26.02.2021 in the matter of O. A. No. 360 of 2015 .

Inspection Team:

1. Shri. Runa Oraon, Sci. "D", CPCB Lucknow
2. Dr. D. K. Joshi, Regional Officer, UKPCB, RO, Haldwani
3. Smt. Rekha Kohli, S.D.M., Kaladungi,
4. Shri Tajber Singh Negi, Mining Officer, Haldwani

Annexure-1

Item No. 04 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M.A. No. 34/2023
IN
Original Application No. 798/2022

Mamta Chourasia & Ors Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 10.05.2023

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Respondent(s): Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB

ORDER

1. Grievance in this application is against violation of environmental norms by stone crushers and mining units in Village Saimalchor and Pattapani, Post Belpadav, District Nainital, Uttarakhand, resulting in creating deep ditches and degradation of environment.

2. Vide order dated 5.1.2023, the Tribunal sought an action taken report from State PCB and District Magistrate, Nainital.

3. In pursuance of above, report dated 10.04.2023 has been filed by District Magistrate, Nainital, acknowledging illegal mining by five mining operators – Himmat Singh S/o Kartar Singh, Subhash Chandra S/o Tikaram, Kripal Singh S/o Kartar Singh, Karam Singh S/o Suchha Singh and Sukhraj Singh S/o Kulwant Singh. Recommendations are said to have been made for recovery of royalty and penalty for excess mining as per

provisions of the Mines Act but no action is shown to have been taken for damage to the environment by such excess mining in the light of judgments of the Hon'ble Supreme Court in Sanjay (2014) 9 SCC 772, MC Mehta (2014) 12 SCC 118, *Goa Foundation v. Union of India & Ors.*, (2014) 6 SCC 590, *Common Cause Vs. U.O.I. & Ors.*, (2017) 9 SCC 499 and Jayant (2021) 2 SCC 679.

4. Accordingly, we direct a joint Committee of CPCB, State PCB and District Magistrate, Nainital to take further action in this regard. State PCB will be the nodal agency for coordination. Action taken report be filed by 31.07.2023 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with a copy to the alleged violators for their response, if any, before 15.08.2023.

5. Since it has been pointed out that another matter raising the same issue being OA No. 538/2022, *Swarn Singh vs. State of Uttarakhand & Ors.* is also pending before this Tribunal which is now fixed for hearing on 22.08.2023, this matter may also be listed with the said matter on the said date.

A copy of this order be forwarded to CPCB, State PCB and District Magistrate, Nainital by e-mail for compliance.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

May 10, 2023
M.A. No. 34/2023
IN Original Application No. 798/2022
DV

2

संख्या: 1909 /VII-A-1/2021/5(31)/21

कार्यालय जिला अधिकारी नैनीताल
संख्या 344 दिनांक 16/11/2021

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक: 12 नवम्बर, 2021

विषयः श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के ग्राम पत्तापानी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1572/30/जी०सी०/2021–22, दिनांक 10 सितम्बर, 2021 एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–2854/खनन/भू०खनि०ई० /समतलीकरण/2021–22, दिनांक 03 नवम्बर, द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021 के नियम 3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूँगी के ग्राम पत्तापानी के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 2.337 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के साथ संयुक्त रूप किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र एम०एम०–10 अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत क्षेत्र में स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेंगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. आवेदक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में उल्लिखित मात्रा के अनुसार उपखनिज की निकासी की जायेगी।
6. आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार–बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सकें।
7. अनुज्ञाधारक के द्वारा ~~शासन द्वारा समय~~–समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

–2

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशो को कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2161 (1)/VII-A-1/2021, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी जनपद नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तपानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल अन्तर्गत स्वयं की नाप भूमि में समतलीकरण की खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं0 1513/30–जी0 सी0/2021–22 दिनांक 06.08.2021 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी–नैनीताल के पत्र संख्या 538/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूँगी जनपद नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में अपनी निजी नाप भूमि के खसरा सं0 160/1स, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.155 है0 भूमि में से आर0बी0एम0 (बालू,बजरी,बोल्डर) की निकासी उत्तराखण्ड बालू, बजरी बोल्डर चुगान नीति, 2016 के बिन्दु स0 23(4) के प्राविधानो के दृष्टिगत् निकासी दिये जाने के सम्बंध मे आवेदित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिंनाक 12.08.2021 को सम्पन्न किया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

राजस्व विभाग की आख्या:– श्री हिम्मत सिंह, श्री दलजीत सिंह, जोगा सिंह पुत्रगण श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापानी ,तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 94,33,30 के खसरा सं0 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.155 है0 भूमि में आवेदन किया गया। जिसमें स्थलीय निरीक्षण के दौरान गूल से दूरी छोडने के उपरान्त एवं क्षेत्र समतलीकरण हेतु चिन्हित किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। राजस्व अभिलेखानुसार प्रस्तावित भूमि आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल के नाम से श्रेणी 1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी में संयुक्त रूप से सहखातेदारी में दर्ज अभिलेख है। संलग्न खतौनी में खातेदारों के नाम बंधक का इन्द्राज दर्ज कागजात है। जिसमें श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 1.543है0 तथा श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 1.862है0 व श्री जोगा सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के नाम 0.687है0 भूमि श्रेणी 01क में दर्ज अभिलेख है जिसमें श्री दलजीत सिंह एवं श्री जोगा सिंह के द्वारा अपने हिस्से की भूमि आवेदनकर्ता श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह को नोटराईज शपथ पत्र संख्या INUK36143938889315T दिनांक 09 अगस्त 2021 के द्वारा समतलीकरण कार्य हेतु सहमती पत्र दिया गया है। आवेदित भूमि के खाता सं0 94,33,30 खसरा संख्या 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है0 मध्ये रकवा मध्ये 3.687है0 प्रस्तावित है, जिसमें उक्त खसरों 160/1 तथा 173/2 मध्ये रकवा 1.35है0 (150x90) में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेश संख्या 3144/30जी0सी0/2017–18 दिनांक 24 अक्टूबर 2017 के द्वारा समतलीकरण की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त प्रस्तावित 3.687है0 मध्ये से 1.35है (150X90) क्षेत्र पृथक करने के उपरान्त 2.337है0 क्षेत्र प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि एक संहत खण्ड में है जो नदी तल से बाहर स्थित है। आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, मन्दिर, श्मशान आदि से दूरी– सड़क से 100 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

वन विभाग की आख्या:–
श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तपनी ,तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं0 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है0 भूमि मध्ये रकवा 2.337है0 भूमि में कोई इमारती वृक्ष एवं अन्य कोई वन प्रजाति के वृक्ष मौजूद नहीं हैं। उक्त प्रस्तावित स्थल से वन क्षेत्र की दूरी 100 मीटर से अधिक है जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है। आवेदित स्थल रॉष्ट्रीय पार्क/सेंचुरी से 10 किमी0 से अधिक की दूरी पर स्थित है।

सिचाई विभाग की आख्या:–

आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापनी ,तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं0 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है0 भूमि मध्ये रकवा 2.337है0 भूमि क्षेत्र में उपखनिज की निकासी हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थल के अन्तर्गत ~~कोई भी विभागीय निर्माण योजना एवं नहर/निर्मित गूल नही है। इसके पास में स्थित गूल को क्षति पहुंचने पर उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा की जायेगी।~~ पूर्व एवं पश्चिम की ओर सिंचाई विभाग की गूल है, गूल से 5 मीटर भूमि छोड़ दी जायेगी व गूल को क्षति पहुंचने पर उसकी क्षतिपूर्ति आवेदक द्वारा की जाये

कृषि विभाग की आख्या:–

आवेदित स्थल पर प्रार्थी के निजी नाप भूमि के उपरी 01 मीटर की मृदा की सतह उबड खाबड़ है जिसमें नदीय अवसाद मौजूद है जो कि उपरी मृदा के साथ मिश्रित हैं जिसे हटाये जाने से तथा अन्यत्र स्थल से साफ मृदा के भरने से स्थल को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्या:–

आवेदक श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम पत्तापनी ,तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि खाता संख्या 30 के के खसरा सं0 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4.092 है0 मध्ये 2.337है0 क्षेत्रफल में विकास हित में व्यवसायिक उपयोग हेतु स्वंय की निजी नाप भूमि में से उपखनिज की निकासी हेतु आवेदन किया गया। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– चालान सं0 20 दिनांक 15.07.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि बंजर एंव ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा सं0 160/1स, 160/1समि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल रकवा 4. 155 है0 मध्ये 2.337है0 भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खसरों की पुष्टि एवं सत्यापित करने के उपरान्त चिन्हांकित मानचित्र अनुसार क्षेत्र खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है, आवेद द्वारा दिये गये अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.08.2021 अनुसार गहराई 06 मीटर चाही गयी है। आवेदित स्थल से 06 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 2,24,352 घनमीटर (या अनुमोदित खनन योजनानुसार) उपखनिज(आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/– प्रति घनमीटर की दर से रू0 03,45,50,208 (तीन करोड, पैतालिस लाख पचास हजार दो सौ आठ मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू 51,82,532/– (इक्यावन लाख बयासी हजार पॉच सौ बत्तीस मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 6,91,804 (रू0 छह लाख इक्यानब्बे हजार आठ सौ चार मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 86,37,552/– (छियासी लाख सैंतीस हजार पॉच सौ बावन मात्र) को जिला खनिज फाउनडेशन न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी के निर्धारित खाता में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि शासनादेश सं0 1845/VII-A-1/5(34)/20 दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु सं0–2 के अनुसार उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 (समय–समय पर यथासंशोधित) बिन्दु सं0 23 के उपबिन्दु (4) के प्राविधानानुसार निम्नानुसार आशय पत्र (LETTER OF INTENT) स्वीकृत किया जायेगा।

(1) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के समतलीकरण एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब, जिसमें बालू, बजरी, बोल्डर खनिज निकलने की सम्भावना हो, हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा हेतु आशय पत्र कार्यालय ज्ञाप सं0

200/2020/31 ख/17 टीoसीo दिनांक 05 मई, 2020 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज, (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति 2016 के बिन्दु सं0 21 के उपबिन्दु (2) में किये गये प्राविधानानुसार जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(2) नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के समतलीकरण एवं मत्स्य पालन हेतु तालाब, जिसमें बालू, बजरी, बोल्डर एवं खनिज निकलने की सम्भावना हो, हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा हेतु आशय पत्र (LETTER OF INTENT)निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड की संस्तुति पर शासन स्तर से स्वीकृत किया जायेगा, प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि है। अतः शासनादेश सं0 1845/VII-A-1/5(34)/20 दिनांक 27.11.2020 के बिन्दु सं0–2 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

<u>अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगाः–</u>

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0 –12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

4– यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

5– समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

6– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7– यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

8– आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बैलपड़ाव	सर्वेक्षक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई नैनीताल	सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, हल्द्वानी	मुख्य कृषि अधिकारी नैनीताल।

[stamp illegible]	प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल/अल्मोड़ा	उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी

(सिंचाई विभाग की आख्यानुसार आवेदक द्वारा इन शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है।

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्याः 1624/VII-A-1/2021/80–ख/16

देहरादून, दिनांकः 28 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 97 वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 में अग्रेत्तर संशोधन करने के दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 के नियम 3 के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अतिरिक्त प्रावधान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया अतिरिक्त प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्रों में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाडी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा, और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रकिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संकियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **स्पष्टीकरण** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में	उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में स्वयं की निजी नापभूमि में स्थल विकास करने के उद्देश्य से पहाडी के कटान, बेसमेंट की खुदाई अथवा भूमि के समतलीकरण किये जाने पर निकलने वाली साधारण मिट्टी को उसी निजी नापभूमि के प्लाट या अपने ही किसी अन्यत्र भूखण्ड (प्लाट) पर ले जाता है तो वह खनन की श्रेणी में नहीं आयेगा और इस प्रकार उक्त के सम्बन्ध में ई0आई0ए0 की बाध्यता नहीं होगी, इस हेतु जे0सी0बी0 का प्रयोग किया जा सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह प्रकिया केवल स्वयं के निजी नाप भूमि के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी पर ही लागू होगी। अन्य खनन संकियाओं पर यह लागू नहीं होगी। यदि उपरोक्तानुसार निजी भूमि के भूखण्ड (प्लाट) से साधारण मिट्टी किसी अन्यत्र स्थान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु परिवहन की जाती है, तो उक्त व्यक्ति को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर रायल्टी का भुगतान करना होगा। **स्पष्टीकरण** उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भवनों के बेसमेन्ट से निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल को रखने की व्यवस्था यदि भवन स्वामी के पास नहीं है और वह उसका व्यवसायिक उपयोग नहीं करता है तो उसे रखने हेतु स्थानीय प्रशासन की अनुमति से संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा घोषित डम्पिंग जोन में

संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रकिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिट्टी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिट्टी की रायल्टी देय होगी।	संरक्षित किया जायेगा, जिसका उपयोग भविष्य में मैदान/हैलीपैड आदि बनाने में उपयोग किया जायेगा। यह प्रकिया केवल स्वयं के भवन निर्माण के प्रयोजन हेतु निकलने वाली साधारण मिटटी एवं वेस्ट मैटेरियल पर ही लागू होगी, इस हेतु रायल्टी में छूट प्रदान की जाती है। डम्पिंग जोन के अतिरिक्त साधारण मिटटी एवं वेस्ट मैटेरियल का अन्यत्र भरान हेतु उपयोग किये जाने पर उपयोगकर्ता द्वारा साधारण मिटटी की रायल्टी देय होगी। अतिरिक्त प्रावधान :– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० 1088, दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट–9 के बिन्दु सं० 3 एवं बिन्दु सं० 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टौरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त के अतिरिक्त ईंट मिट्टी एवं सड़क भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आयेगी, जब तक कि खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर, मिट्टी, मक आदि की निकासी पर नियमानुसार रायल्टी एवं अन्य शुल्क देय होंगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान

	अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

आज्ञा से,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

–: नोटिस :–

...त सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,
...ा ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी,
जनपद नैनीताल।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनॉक 12 नवम्बर, 2021 द्वारा आपके पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल का दिनॉक 27.12.2021 को संयुक्त समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण में 20436 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन पाये जाने पर रु. 67,59,245.00 (सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 64/30–जी.सी./2021–22 दिनॉक 07 जनवरी, 2022 द्वारा नोटिस निर्गत करते हुए 15 दिनों भीतर प्रतिउत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर भी आतिथि तक अप्राप्त है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको प्रकरण में नोटिस प्राप्ति से 07 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर आपके द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, तो समझा जायेगा कि आपको अपने प्रतिउत्तर में कुछ नहीं कहना है तथा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

ह०
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 68/30–जी.सी./2021–22 दिनांक : 08 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– तहसीलदार, कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह०
जिलाधिकारी,
नैनीताल

-: नोटिस :-

श्री ^ त सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी
(अनुज्ञाधारक–ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी)

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 494/पी.ए./2022 दिनॉक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के नेतृत्व मे राजस्व विभाग एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनॉक 26.04.2022 को ग्राम सेमलचौड़ मे स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल मे संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है :

श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :–
उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंतालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई थी।

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्य 68/30– पी.सी./2021–22 दिनॉक 08 फरवरी, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है, कि उनके द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि ई चालान संख्या 08530322E0850335 एवम् 08530322E0850385 दिनॉक 23 मार्च, 2022 द्वारा जमा कर दी गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनॉक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है. क्षेत्रफल मे स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी. के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में कुल 97,392 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में 38,400 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 1,35,792 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,35,792 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पॉच गुना अर्थात रु. 770 प्रति घनमीटर की दर से रु. 10,45,59,840 (दस करोड़, पैंतालीस लाख, उन्सठ हजार, आठ सौ चालीस(रूपये मात्र) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 12 /30–पी.सी./2021–22 दिनांक : 05 मई, 2022

प्रतिलिपि :–
1– उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार ई–रवन्ना पोर्टल आई.डी. को तत्काल बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3– तहसीलदार कालाढूंगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एंव अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यो एंव याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबधित उत्तरदाता संख्या 7–एल0एस0सी0स्टोन क्रेशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8–एल0 एस0 सी0 स्टोन क्रेशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9–दायका स्टोन क्रेशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10–ओमकार . स्टोन क्रेशर,ग्राम इटव्वा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी, जनपद में किये जा रहे अवैध खनन के संबध में याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जाच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेष संख्या 1210/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जाच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एंव खनन विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एंव समतलीकरण अनुज्ञायो का सयुंक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। इस संबन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त याचिका मे उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबधित समस्त स्टोन क्रेशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन क्रेशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान मे स्वीकृत नही है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनाक 27.12.2021 को कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। ज़िसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:–

<u>01:– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा:–</u> कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या-89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व

[illegible] भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर०बी०एम० की निकासी तीन [illegible]ह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया,, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी० x 12 मी० x 1.86 मी०) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237–35,214.00–2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678:04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसंत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 1)।

<u>02:– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:–</u> कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30–जी०सी०/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.695 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग

बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह मे किए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320–1,44,693–10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

03:– श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 –22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एंव 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एंव खसरा संख्या 230/4 एंव खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्बा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2141/7–ए–1/2021– 05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूँगी मे 2.430है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:– श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्बा 1.253 है0,खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्बा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रक्बा 0.996 है0,खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्बा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रक्बा 229/5/1 रक्बा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रक्बा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2140/7–ए–1/2021–05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड मे 2.470है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूँगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन [illegible]/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध [illegible]न, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं [illegible]नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन [illegible]मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंतालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।

अतः तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र– बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी

(अपर निदेशक,)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूंगी

Ann-6 Himmat Singh 6759

Annexure-6

36

IFMS
Uttarakhand

e-Challan

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Bank Reff. No. - CKT1930448

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid.	HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH
2	Address	VILLAGE PATTAPANI TEHSIL KALADHUNGI DISTT NAINITAL
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Royalty Deposit (imposed vide notice no. 64/80-GC/2021-22 dt. 7 Jan 2022 at village Pattapani tehsil Kaladhungi Distt Nainital
5	Gross value of Challan	3500000
6	Net value of Challan	3500000
7	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
8	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
	Mineral Concession Fee rent and interest charges	0853001020100	3500000
	Total Challan Amount-		3500000

Amount (in words) - Rs. Thirty-Five Lakh only

Signature of departmental officer with seal

HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH

Challan No- 08530322E0850335

Amount in Figure(Rs.) - 3500000

Date - 23-MAR-2022

Amount in words - Rs. Thirty-Five Lakh only

Received Through

Bank Reff. No. - CKT1930448

State Bank Of India (Payment Gateway)

IFMS Uttarakhand

e-Challan

Bank Reff. No. - CKT2019444 35

संलग्नक-8

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch -State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed Successfully

1	Name of the person (designation if necessary) or Organization on whose behalf amount is being paid.	HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH
2	Address	VILLAGE PATTAPANI TEHSIL KALADHUNGI DISTT NAINITAL
3	Registration Number (if necessary)	
4	Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of)	Royalty Deposit / imposed vide notice no. [illegible] 2021-22 dt. 7 Jan 2022 at village Pattapani tehsil Kaladhungi Distt Nainital
5	Gross value of Challan	[illegible]245
6	Net value of Challan	3259245
7	Full details of Head of Account	0853 - Non-ferrous mining and metallurgy industry
8	13 Digit code of Head of A/c	As per details below

SL No.	Services	Detail Head	Amount
1	[illegible] Fee [illegible] interest charges	0853001020100	32[illegible]9245
	Total Challan Amount		32[illegible]9245

Amount in words - [illegible] Thirty-Two Lakh Fifty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Five only

Signature of departmental officer with seal | HIMMAT SINGH S/O SHRI KARTAR SINGH

Challan No- 08530322E0850385

Amount in Figure(Rs.) - 3259245

Date - 23-MAR-2022

Amount in words - Rs. Thirty-Two Lakh Fifty-Nine Thousand Two Hundred Forty-Five only

Received Through

Bank Reff. No. - CKT2019444

State Bank Of India (Payment Gateway)

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तराखण्ड
जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी

Annexure B 48

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

पत्रांक: 337 /भू0खनि0इ0/अ0ख0/2023–24 दिनांक: 19 जुलाई, 2023

विषय: **श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल में किये जा रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में।**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के कार्यालय पत्रांक सं0 360/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल में किये जा रहे अवैध खनन पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति आख्या को प्रेषित की गई थी। उक्त आख्या में उल्लिखित है कि दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह द्वारा औसतानुसार (100मी0 ल0 X 28मी0 चौ0 X 2मी0 गहराई) (37मी0 ल0 X 34 मी0 चौ0 X 2मी0 गरहराई) कुल 12,985.6 घनमीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) अवैध रूप से खनन कार्य किया गया है। उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुयी भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40मी0 ल0 X 40मी0 चौ0 X 3.5 मीटर गहराई में कुल 8,960 घनमीटर (स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है। तदनुसार अनुज्ञा धारक के द्वारा कुल 21,945.6 घनमीटर/48,280.32 टन (20,436 घनमीटर/44,959.20 टन त्रुटिवश अंकित) उपखनिज का अवैध खनन किये जाने पर रू0 140/– प्रति टन की दर से **रू0 67,59,245.00** जुर्माना वसूलने की संस्तुति की गई थी।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त प्रेषित आख्या में अर्थदण्ड, रायल्टी का तीन गुना की दर से लगाया जाना था परन्तु लिपिकीय त्रुटिवश उक्त आख्या में रायल्टी का दो गुना से ही अर्थदण्ड आगणित किया गया था। अतः उपरोक्त अवैध उत्खनित की मात्रा **कुल 21,945.6 घनमीटर/48,280.32 टन** पर रायल्टी का तीन गुना अर्थात रू0 210/– प्रति टन की दर से **रू0 1,01,38,868.00** अर्थदण्ड वसूलने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(ताजबर सिंह नेगी)
खान अधिकारी

सं0– / तददिनांकित

प्रतिलिपिः–

उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी को उनके उपरोक्त पत्रांक के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(खान अधिकारी)

सयुंक्त निरीक्षण आख्या

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एंव अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यो एंव याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबधित उत्तरदाता संख्या 7–एल0एस0सी0स्टोन क्रेशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8–एल0 एस0 सी0 स्टोन क्रेशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9–दाबका स्टोन क्रेशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10–ओमकार स्टोन क्रेशर,ग्राम इटव्वा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी, जनपद में किये जा रहे अवैध खनन के संबध में याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जाच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेष संख्या 1210/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जाच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एंव खनन विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एंव समतलीकरण अनुज्ञायो का सयुंक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। इस संबन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त याचिका मे उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबधित समस्त स्टोन क्रेशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन क्रेशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान मे स्वीकृत नही है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूँगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:–

<u>01:– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड तहसील कालाढूँगी के पक्ष मे स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:–</u> कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व

भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया,. जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237–35,214.00–2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसंत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 1)।

<u>02:– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:–</u> कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्बा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्बा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्बा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्बा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बैसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग

बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह मे ...ए जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320–1,44,693–10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

<u>03– श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:–</u> कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई.उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 –22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एंव 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एंव खसरा संख्या 230/4 एंव खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रक्बा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2161/7–ए–1/2021– 05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूंगी मे 2.430है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:– श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्बा 1.253 है0,खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्बा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रक्बा 0.996 है0,खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्बा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रक्बा 229/5/1 रक्बा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रक्बा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2140/7–ए–1/2021–05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड मे 2.470है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन [illegible]/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध [illegible]न, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं [illegible]नियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन [illegible]मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।

अतः तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र– बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी

(अपर निदेशक,)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूगी

सयुंक्त निरीक्षण आख्या

अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल, उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 26 अप्रेल 2022 को ग्राम सेमलचौड में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञा धारक/प्रतिंनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिनकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

01:- श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:- उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम तहसील लालकुआ,जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड में, खसरा संख्या 229/4,229/3/1,,230/3, 229/5/2,229/5/1 कुल रक्वा 5.017 है0 मध्ये 2.470है0 (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एंव 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई)में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत दिनांक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एंव औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त)अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड पिचासी लाख अठारह हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत आज दिनांक 26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एंव औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 174400 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 174400 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 13,42,88,400.00 (तेरह करोड बयासी लाख अठासी हजार चार सौ) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई0 डी0 को बन्द करने की की संस्तुति की जाती है।

(2)

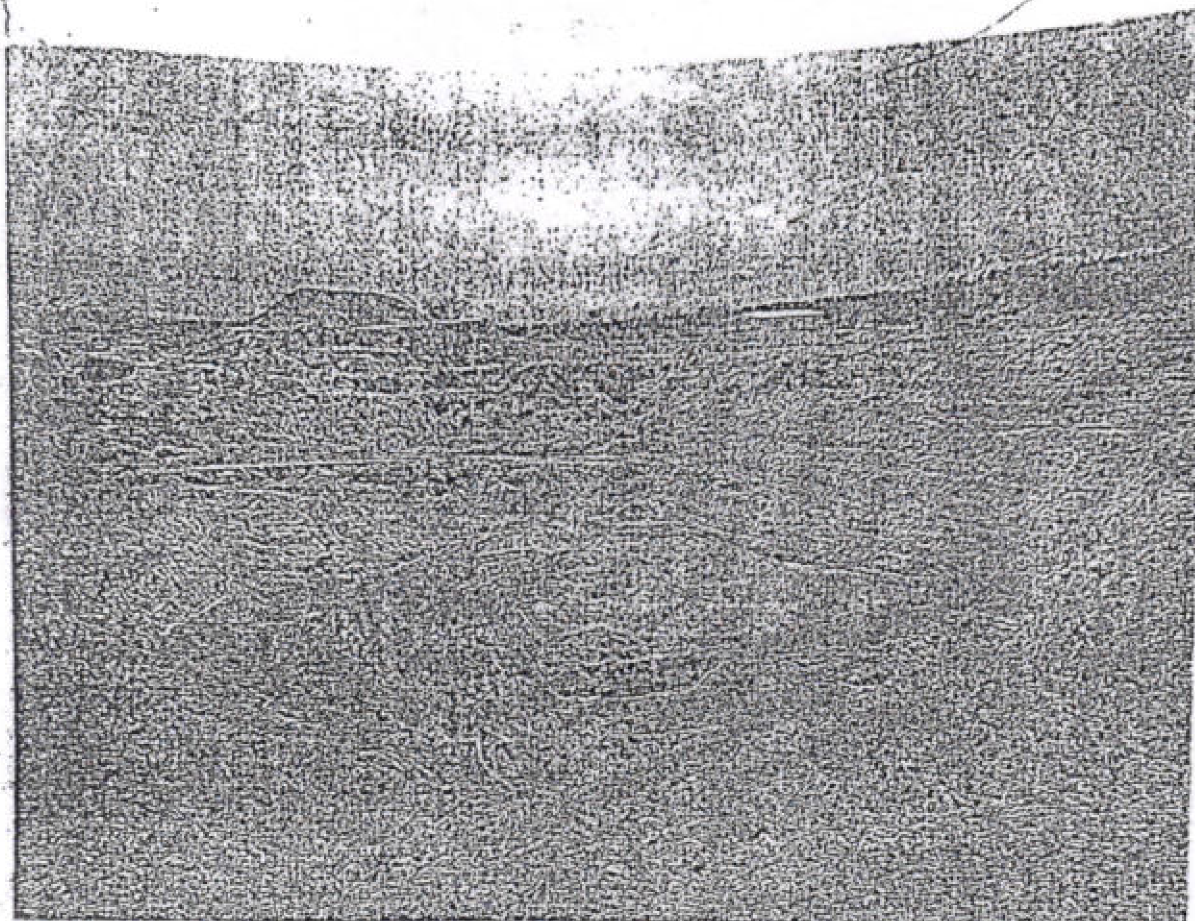

02:– **श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा** :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/ VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रुप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर

(3)

गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6294288.00 (रू0 बासठ लाख चौरानब्बे हजार दो सौ अठ्ठासी) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनांक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) में कुल 97392 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई में 38400 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 135792 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 135792 घन मीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पांच गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से रू0 104559840 (दस करोड पैतालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ चालीस रू0) वसूलने एवं ई-रवन्ना पोर्टल आई0 डी0 को बन्द करने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

[redacted]

उक्त के अतिरिक्त श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, ग्राम सेमलचौड स्थित अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है। सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, ग्राम सेमलचौड की अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही अनुज्ञा का कार्य किया जा रहा है। मौके पर सीमा बंदी हेतु लगे पीलर गिरे पाये गये, जिन्हे तत्काल सही कराने हेतु निर्देषित किया गया। श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम सेमलचौड के अनुज्ञा स्थल पर निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है

अतः तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र-बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूगी।

.../11/22
अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Annexure 8 42 58

संलग्नक-11
क्रमांक-2

Ann 8

प्रेषक

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23 दिनाँक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरान कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनाँक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूँगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाएं स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरान करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूँगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालाढूँगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल,	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूँगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजुड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी बिशनपुर, कालाढूँगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालाढूँगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालाढूँगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालाढूँगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, उ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूँगी)
9	करन सिंह पुत्र श्री सुब्बा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालाढूँगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूँगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरान कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तद्क्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30- जी.सी./2022-23 दिनाँक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में स्वीकृत/संचालित खनन अनुज्ञाओं का विवरण

क्रम सं0	अनुज्ञाधारक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र	क्षेत्रफल	अवधि	स्वीकृत मात्रा	निकासी की मात्रा	निकासी के सापेक्ष जमा रायल्टी	अवैध खनन की मात्रा	आरोपित धनराशि	जमा का विवरण
1.	श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी, तह0 कालाढूंगी, जिला नैनीताल।	ग्राम पत्तापानी तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल	खाता सं0 94, 33, 30 के खसरा सं0 160/1सि, 160/1मि0, 161/3मि0, 173/2मि0, 174/2, 175/1, कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0	12.11.2021 से 11.05.2022 तक	2,24,352 घनमीटर	2,22,755 घनमीटर	4,04,24,544.00	21,945 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 27.12.2021) 1,35,792 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 26.04.2022)	रू0 67,59,245.00 रू0 10,45,59,840.00	जमा जमा नहीं
2.	श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह	ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल	खाता सं0 78 के खसरा सं0 231/5 रकबा 1.676 है0, खता सं0 85 के खसरा सं0 231/4/2 रकबा 1.474 है0, व खाता सं0 29 के खसरा सं0 231/3/1 रकबा 2.745 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रकबा 0.753 है0	22.10.2021 से 21.01.2022 तक	1,44,693 घनमीटर	1,16,772 घनमीटर	2,60,70,793.00	10,080 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 25.11.2021) 200547 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 27.12.2021)	रू0 31,04,640.00 रू0 15,44,21,400.00	जमा नहीं जमा नहीं
3.	श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, तह0 बाजपुर जिला	ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल	खसरा सं0 168, 169 एवं 170 कुल रकबा 1.718 है0 मध्ये रकबा 0.800 है0	05.01.2022 से 30.06.2022 तक	1,28,000 घनमीटर	1,28,000 घनमीटर	2,30,63,040.00	–	–	–

Annexure - 9(A)

4	श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी	ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल	खाता सं0 14 के खसरा सं0 121मि0, खसरा सं0 88मि0 तथा खसरा सं0 89मि0 व खाता सं0 32 के खसरा सं0 88मि0 व खसरा सं0 89मि0 व खाता सं0 32 के खसरा सं0 88मि0 व खसरा सं0 89मि0 मध्ये रकवा 0.241 है0	22.10.2021 से 21.01.2022 तक	35,214 घनमीटर	34,958 घनमीटर	63,44,859.00	2856.96 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 25.11.2021) 22678.04 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 27.12.2021)	रू0 8,79,944.00 रू0 69,84,836.00	जमा नहीं जमा नहीं
5.	सुभाष चन्द्र पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर मोतीराम, तह0 लालकुआं, जिला नैनीताल	ग्राम सेमलचौड़, तह0 कालाढूंगी जिला नैनीताल	खसरा सं0 229/4, 229/3, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0	23.12.2021 से 22.06.2022 तक	2,76,640 घनमीटर	2,47,385 घनमीटर	4,98,44,996.00	1,53,920 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 26.03.2022) 1,74,400 घनमीटर (निरीक्षण दिनांक 26.04.2022)	रू0 11,85,18,400.00 रू0 13,42,88,400.00	जमा नहीं जमा नहीं
6.	राजेन्द्र सिंह (कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

उपरोक्त तालिका में वर्णित खनन अनुज्ञाएं अल्प अवधि हेतु प्रदान की गई हैं। उक्त खनन अनुज्ञाओं में स्वीकृत समयावधि के अन्तर्गत ही अनुज्ञा क्षेत्र का औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की गई है।

बल्क डेंन्सिटी :– 2.2 के अनुसार आंगणित (तद्समय प्रचलित नीति के प्राविधानानुसार)

बाजार मूल्य से आशय :– प्रचलित रायल्टी का पांच गुना

				Present Value (PV) @ 7% under moderate						
Unit Name	Total Quantity (m3)	Market Value of Illegally mined material @ Rs.770/m3	Annual Value of Foregone Ecologiacl Values (Rs.) R.F = 0.50	Year 01	Year 02	Year 03	Year 04	Year 05	Total (PV)	Net Present Value (NPV) (Rs.)
		D	D * R.F	D*RF/1.07	D*RF/1.1449	D*RF/1.225043	D*RF/1.31079601	D*RF/1.402551731		PV - D
Himmat Singh	157737	12,14,57,490	6,07,28,745	5,67,55,836	5,30,42,838	4,95,72,746	4,63,29,669	4,32,98,756	24,89,99,845	**12,75,42,355**
Kripal Singh	210627	16,21,82,790	8,10,91,395	7,57,86,350	7,08,28,365	6,61,94,734	6,18,64,237	5,78,17,044	33,24,90,730	**17,03,07,940**
Sukhraj Singh	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karam Singh	25535	1,96,61,950	98,30,975	91,87,827	85,86,754	80,25,004	75,00,004	70,09,349	4,03,08,938	**2,06,46,988**
Subhash Chandra	328320	25,28,06,400	12,64,03,200	11,81,33,832	11,04,05,450	10,31,82,664	9,64,32,396	9,01,23,735	51,82,78,077	**26,54,71,677**

Annexure-9-(B)

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुँआ, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल के अन्तर्गत नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुँआ, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु प्रपत्र एम0एम0 8 में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 08.11.2021 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क स्वरूप रू0 5,000/– दिनांक 08.11.2021 को ई–चालान के माध्यम से जमा किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1824/VII–A–1/2021/80–ख/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय 06 में दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 854/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 09.11.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 11.11.2021 की तिथि निर्धारित करते हुए, राजस्व विभाग, एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनाक 11.11.2021 को आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

<u>राजस्व विभाग की आख्या:–</u> श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुँआ, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल के नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व अभिलेखानुसार वर्तमान खाता खतौनी संख्या 1426–1431फ0 के खाता संख्या 85 के खसरा न0 229/4 रकवा 1.253है0, भूमि सनविन्दर, मनिन्दर, पुत्रगण राम सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी राम सिंह के नाम श्रेणी 01 क संक्रमणीय भूमिदरी में दर्ज कागजात है, खाता संख्या 29 के खसरा न0 229/3/1 रकवा 1.521है0, तथा खसरा न0 230/3 रकवा 0.996है0 भूमि श्री हरवंश लाल हंसराज कम्बोज दर्शन राम पुत्रगण चानन राम तथा नत्थाराम पुत्र गुरूदित्ता, देशराज पुत्र गुरूदित्ता के नाम वर्ग 1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है। खाता संख्या 78 के खसरा न0 229/5/2 रकवा 0.032है0, भूमि वीरोबाई पत्नी करतार सिंह के नाम श्रेणी 1(क) में दर्ज अभिलेख है व खाता संख्या 70 रकवा 229/5/1 रकवा 1.215है0 भूमि राजकुमारी पत्नी जगतार सिह एवं सरजीत कौर पत्नी राम सिंह के नाम श्रेणी 1(क) में दर्ज अभिलेख है। खसरा न0 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017है0 भूमि मध्ये 2.470है0 भूमि (लम्बाई 100 मीटर x चौडाई 100मी0) एवं (लम्बाई 175 मीटर x चौडाई 84मी0) समतलीकरण हेतु उपयुक्त है, उक्त खातों में बंधक का इन्द्रजात दर्ज कागजता नही है प्रस्तावित भूखण्ड से 150 मीटर बाद आबादी स्थित है । राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। भूस्वामियों द्वारा शपथ पत्र संख्या IN-

UK53111498338651T दिनांक 09.11.2021 के द्वारा आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम को भूमि समतलीकरण किये जाने हेतु खनन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। आवेदित भूमि मध्ये 2.470है0 भूमि (लम्बाई 100 मीटर X चौडाई 100मी0) एवं (लम्बाई 175 मीटर X चौडाई 84मी0) आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि नदी तल से बाहर स्थित है।

आवेदित क्षेत्र, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, से 10 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

प्रस्तावित भूमि की चौहद्दी

पूरब में–	श्री महेन्द्र सिंह, श्री गुलजार सिंह की भूमि।
पश्चिम में–	प्रकाश चन्द्र आदि की भूमि।
उत्तर में–	खातेदारों की शेष भूमि।
दक्षिण में–	खातेदारों की शेष भूमि।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्या:–

आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड, तहसील लालकुँआ, जिला नैनीताल द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल निजी नाप भूमि के खसरा न0 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017है0 भूमि में आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– दिनांक 08.11.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है। आवेदित स्थल में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त सीमांकन के दौरान क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भाव्य होने की दशा में आवेदक को मान्य होगा।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि खसरा न0 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017है0 मध्ये रकवा 2.470है0 भूमि (100मी0×100मी0) एवं (175मी0×84मी0) भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खसरों एवं स्थल की पुष्टि करने के उपरान्त सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र अनुसार 2.470 है0 क्षेत्र खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है। जिसमें आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के **अनुसार 7 मीटर** गहराई तक उपखनिज निकासी की अनुमति चाही गयी है। आवेदित स्थल के अनुसार जिसमें 7 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर **(100X100मी0X7मी0)** एवं **(175X84मी0X7मी0)** स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल **276640** घनमीटर उपखनिज(आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/– प्रति घनमीटर की दर से रू0 **04,26,02,560** (चार करोड, छब्बीस लाख दो हजार पॉच सौ साठ मात्र) देय होती है।

इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू 63,90,384/– (त्रेसठ लाख नब्बे हजार तीन सौ चौरासी रू0 मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 08,52,052/– (रू0 आठ लाख बावन हजार बावन रू0 मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 01,06,50,640 (एक करोड छः लाख पचास हजार छः सौ चालिस मात्र) को जिला खनिज फाउनडेशन न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी के निर्धारित खाता स0–40331461741 में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग –1 अधिसूचना संख्या 1824/VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा निमलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1088 दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट– 9 के बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नही होगी। उक्त के अतिरिक्त ईट मिट्टी एवं सडक भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नही आयेगी, जब तक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर मिट्टी मक आदि की निकासी पर नियामानुसार रायलटी एवं अन्य शुल्क देय होगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिर्क इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि है।

अतः शासनादेश सं0 1824/ VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगाः—

1— आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0—12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2— स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय—समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3— खनन अनुज्ञा के स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4— किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5— यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

6— समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

7— यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

8— यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

9— आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार—बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान—माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र	सर्वेक्षक हल्द्वानी	संयुक्त निदेशक (खनन) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल	उपजिलाधिकारी कालाढूंगी

संख्या–2140 /VII-A-1/2021–05(73)/2021

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2021

विषयः श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी–दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3546/खनन/भू0खनि0ई0/नैनी0/2021–22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी–दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या–229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकवा 5.017 है0 मध्ये 2.470 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 276640 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी रू0 4,26,02,560/–, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 63,90,384/– तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 8,52,052/– तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउण्डेशन की धनराशि रू0 1,06,50,640/– का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
5. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
7. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सकें।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. अनुज्ञाधारक द्वारा आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही आवेदित भूमि से उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडें।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 2140 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी-दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संलग्नक-14

-: नोटिस :-

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम,
निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ,
जनपद नैनीताल।

अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 1570/भू. खनि.इ./अ.ख./2021-22 दिनाँक 29 मार्च, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 1910/30-जी.सी./2021-22 दिनाँक 15.03.2022 के अनुपालन में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, श्री गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ एवम् श्री काबुल सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह के पक्ष में ग्राम कनकपुर, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल में स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण दिनाँक 26.03.2022 को अपर निदेशक खनन एवम् उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के नेतृत्व में खनन एवम् राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

<u>श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :-</u>

"उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनाँक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकबा 5.017 है. मध्ये 2.470 है. (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई एवम् 175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी छः माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 180 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रूप से खननकार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर से रु. 11,85,18,400.00 (रु. ग्यारह करोड़, पिचासी लाख, अठारह हजार, चार सौ मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई है। जिनके फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2018, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानों का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 05 /30-जी.सी./2021-22 कालाढूंगी दिनांक : 11 अप्रैल, 2022

प्रतिलिपि :-

1- उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3- तहसीलदार कालाढूंगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संलग्नक –15
क्र०सं० । केमेरा –3

सयुंक्त निरीक्षण आख्या

अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल, उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनांक 26 अप्रेल 2022 को ग्राम सेमलचौड में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञा धारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिनकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

01:– श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:– उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021–5(73)/2021 दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम तहसील लालकुआ,जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड में, खसरा संख्या 229/4,229/3/1,.230/3, 229/5/2,229/5/1 कुल रक्बा 5.017 है0 मध्ये 2.470है0 (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई एंव 175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7.0 मीटर गहराई)में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत दिनांक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एंव औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त)अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 11,85,18,400.00 (ग्यारह करोड पिचासी लाख अठारह हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अर्न्तगत आज दिनांक 26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई X 90 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एंव औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई X 80 मीटर चौड़ाई X 5 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रूप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 174400 घन मी उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 174400 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात् रू0 770 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 13,42,88,400.00 (तेरह करोड बयासी लाख अठासी हजार चार सौ) वसूलने एवं ई–रवन्ना पोर्टल आई0 डी0 को बन्द करने की की संस्तुति की जाती है।

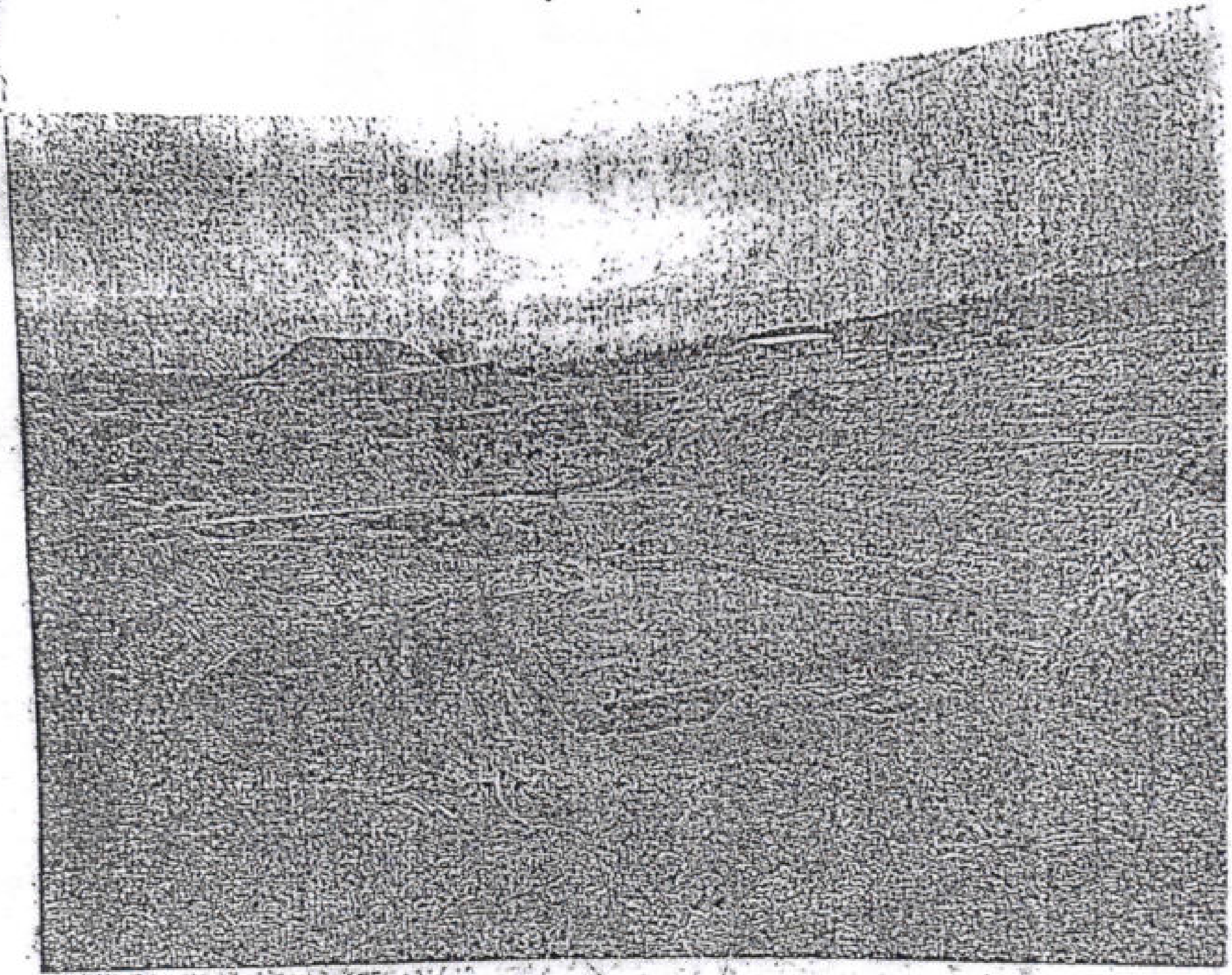

//02:– **श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूँगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा** :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/ VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर

(3)

गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6294288.00 (रू0 बासठ लाख चौरानब्बे हजार दो सौ अठ्ठासी) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर आज दिनांक 26.04.2022 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 15 मीटर तक (स्वीकृत 06 मीटर की गहराई, 02 मीटर गहराई के अतिरिक्त) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई) में कुल 97392 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 15 मीटर गहराई में 38400 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 135792 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 135792 घन मीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पांच गुना अर्थात रू0 770 प्रति घनमीटर की दर से रू0 104559840 (दस करोड पैतालीस लाख उनसठ हजार आठ सौ चालीस रू0) वसूलने एवं ई–रवन्ना पोर्टल आई0 डी0 को बन्द करने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

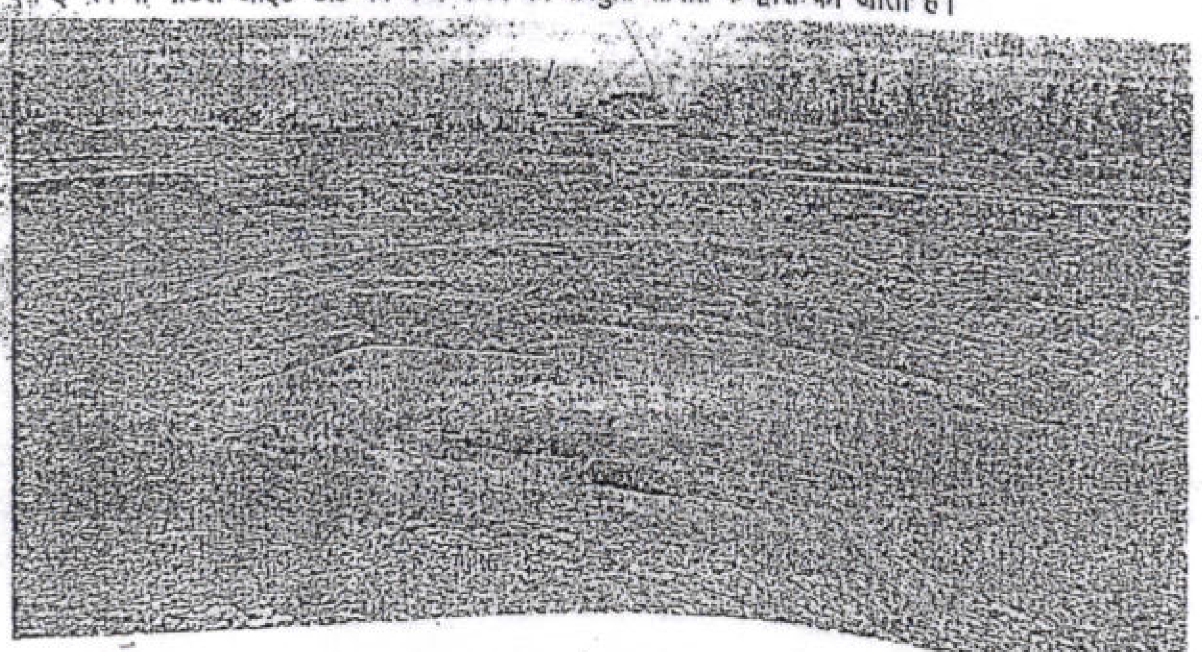

उक्त के अतिरिक्त श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, ग्राम सेमलचौड स्थित अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है। सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह, ग्राम सेमलचौड की अनुज्ञा स्थल के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही अनुज्ञा का कार्य किया जा रहा है। मौके पर सीमा बंदी हेतु लगे पीलर गिरे पाये गये, जिन्हे तत्काल सही कराने हेतु निर्देषित किया गया। श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह ग्राम सेमलचौड के अनुज्ञा स्थल पर निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य बन्द पाया गया, तथा गढढो को भरा नहीं गया है

अतः तदनुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र–बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

2/11/22

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूगी।

अपर जिलाधिकारी,
नैनीताल।

Annexure 14 (19)
संलग्नक-6 573
Ann-13

-: नोटिस :-

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,
मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआँ (अनुज्ञाधारक–ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूँगी)

उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 494/पी.ए./2022 दिनाँक 28 अप्रैल, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि अपर जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व विभाग एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दिनाँक 26.04.2022 को ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआँ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा :- "उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2140/VII-A-1/2021-5(73)/2021 दिनाँक 23 दिसम्बर, 2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम, तहसील लालकुआँ, जिला नैनीताल के पक्ष में ग्राम सेमलचौड़ में खसरा संख्या 229/4, 229/3/1, 230/3, 229/5/2, 229/5/1 कुल रकबा 5.017 है. मध्ये 2.470 है. (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई एवम् 175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7.0 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण की अनुमति व उक्त भूभाग पर खुदान से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी छः माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत दिनाँक 26.03.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 04 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) अवैध रुप से खननकार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,53,920 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,53,920 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर से रु. 11,85,18,400.00 (रु. ग्यारह करोड़, पिचासी लाख, अठारह हजार, चार सौ मात्र) वसूलने की संस्तुति की गई है।

उक्त आख्या के आधार पर कार्यालय पत्र संख्या 05/30-जी.सी./2021-22 दिनाँक 11 अप्रैल, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आपका प्रतिउत्तर आतिथि तक अप्राप्त है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत आज दिनाँक26.04.2022 को अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 100 मीटर लम्बाई x 90 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई, 04 मीटर गहराई के अतिरिक्त) एवम् औसतानुसार 160 मीटर लम्बाई x 80 मीटर चौड़ाई x 05 मीटर (स्वीकृत 07 मीटर की गहराई के अतिरिक्त) 04 मीटर अवैध रुप से खनन कार्य किया गया, जिसमें स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 1,74,400 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 1,74,440 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रॉयल्टी का पाँच गुना अर्थात् रु. 770 प्रतिघनमीटर की दर से रु. 13,42,88,400.00 (तेरह करोड़, बयासी लाख, अठासी हजार, चार सौ रुपये मात्र) वसूलने एवम् ई-रवन्ना पोर्टल आई.डी. को बन्द करने की संस्तुति की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानों का उल्लंघन हैं।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 11 /30-जी.सी./2021-22 दिनांक : 05 मई, 2022

प्रतिलिपि :-

1- उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्तानुसार ई-रवन्ना पोर्टल आई.डी. को तत्काल बन्द किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3- तहसीलदार कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

Annexure-1574

Ann-14

<u>संयुक्त निरीक्षण आख्या</u>

विषय : श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालोनी, तहसील बाजपुर,जिला उधम सिंह नगर के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में होटल बेसमैन्ट खुदान किये जाने की अनुमति चाहने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं0 1602/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 27 सितम्बर 2021 के अनुपालन में कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के पत्र सं0 757/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के द्वारा आवेदक श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालोनी, तहसील बाजपुर,जिला उधम सिंह नगर के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में होटल बेसमैन्ट खुदान किये जाने की अनुमति के आलोक में उपरोक्त आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक 08.10.2021 को राजस्व विभाग एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक की उपस्थिति में किया गया।

कार्यालय पत्रावली का अवलोकन करने पर आवेदक द्वारा होटल बनाने हेतु बेसमैन्ट खुदान किये जाने हेतु उक्त भूमि पर बेसमेन्ट खुदान के लिए खनन अनुज्ञा के लिये निर्धारित आवेदन प्रपत्र एम0एम0–8 पर आवेदन किया गया है तथा अनुज्ञा आवेदन शुल्क रू0 5,000/– ई चालान सं0 0853092IE0558584 दिनांक 27 सितम्बर 2021 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दी गयी आख्यानुसार ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढुंगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426–1431 फसली के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रकबा 1.676है0 भूमि चीरोबाई पत्नी करतार सिंह के नाम वर्ग 01 (क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज कागजात है तथा खाता संख्या 85 के खसरा न0 231/4/2 रकबा 1.474है0 भूमि सनविन्दर सिंह, मनिन्दर सिंह पुत्रगण राम सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी राम सिंह के नाम वर्ग 1(क) संक्रमणीय भूमिधरी में दर्ज अभिलेख है एवं खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 रकबा 2.745है0 भूमि हरवंश लाल, हंशराज कम्बोज, दर्शन राम पुत्रगण चाननराम निवासी ग्राम जोगीपुरा तहसील बाजपुर के नाम संयुक्त रुप से सहखातेदारी मे दर्ज अभिलेख है कुल उक्त तीन खातों मे कुल भूमि 5.895है0 मध्ये कुल रकबा 0.753है0 भूमि जो 114.60X65.76 में होटल बेसमेन्ट हेतु प्रस्तावित है।

आवेदक श्री कृपाल सिंह द्वारा होटल निर्माण हेतु मानचित्र शक्ति एसोसिएटस (श्री कपिल शर्मा, पटेल नगर, कोर्ट रोड, काशीपुर) से तैयार करवाकर जो ग्राम प्रधान सेमलचौड, (बैलपड़ाव) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। मानचित्र में होटल के बेसमैन्ट बनाये जाने हेतु आवेदन श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के द्वारा किया गया है। आवेदक को होटल बेसमैन्ट के निर्माण हेतु सहमति सुरजीत कौर पत्नी श्री राम सिंह, सनविन्दर सिंह, मनिन्दर सिंह पुत्रगण राम सिंह द्वारा उक्त नोटराईज शपथ पत्र संख्या IN-UK48082907889765T दिनांक 08.10.2021 व हरवंश लाल, हंशराज कम्बोज, दर्शन राम पुत्रगण चानन राम शपथ पत्र संख्या UK46445946650410T दिनांक 29.09.2021 एवं श्रीमती चीरोबाई पत्नी करतार सिंह द्वारा शपथ पत्र संख्या UK45753501878642T दिनांक 26.09.2021 के माध्यम से उपरोक्त भूस्वामियों द्वारा आवेदित स्थल में होटल बेसमेन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्ता को कोई आपत्ति नही है का शपथ पत्र दिया गया है।

आवेदक श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी सूद कालोनी, तहसील बाजपुर,जिला उधम सिंह नगर के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूंगी, जिला नैनीताल मे शपथकर्ता को बेसमेन्ट बनाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त यदि शपथकर्ता को बेसमेन्ट नहीं बनाया जाता है तो विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण जिम्मेदारी शपथकर्ता की होगी का नोटराइज्ड पत्र सं IN-UK45753722303203T दिनांक 26 सितम्बर 2021 दिया गया है।

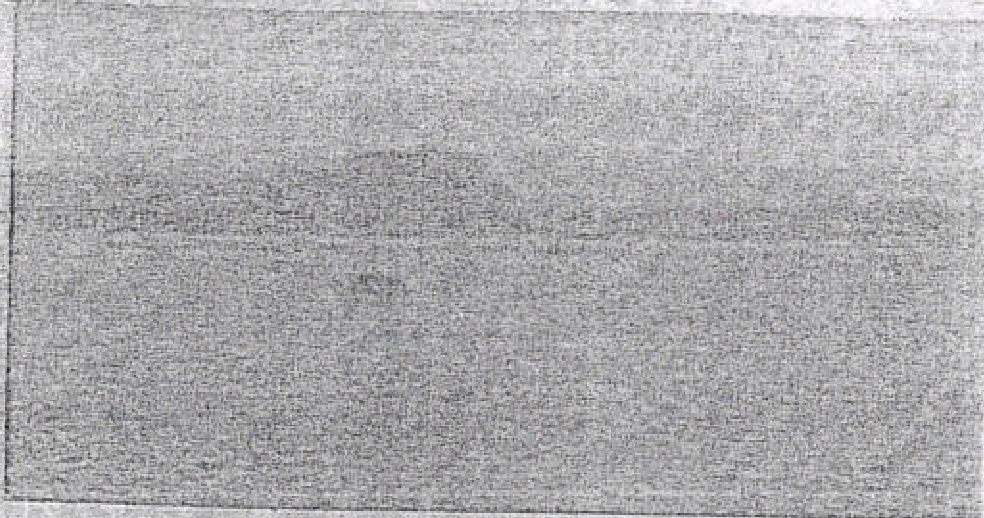

आवेदित स्थल के फोटोग्राफ

प्रस्तावित होटल बेसमेन्ट में मानचित्रकार कपिल शर्मा (शक्ति एसोसिएटस पटेल नगर कोर्ट रोड काशीपुर) द्वारा बनाये गये मानचित्रानुसार उल्लिखित चारों दिशाओं में सेटबैक छोडने उपरान्त एवं क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा दिखाये गये स्थल व खसरा नम्बरों में राजस्व मानचित्र में चिन्हाकित क्षेत्र की पुष्टि करने के आधार पर आवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवेदित स्थल की पैमाईश की गयी, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौडाई एवं गहराई 12 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए 1,44,693 घनमीटर आर० बी० एम० निकलने की सम्भावना है। जिसकी रायल्टी रू0 154/-प्रतिघनमीटर की दर से रू0 02,22,82,729 (दो करोड बाईस लाख बयासी हजार सात सौ उन्तीस मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रायल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रू0 37,88,064/-(सैंतीस लाख अठासी हजार चौसठ रू मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त रायल्टी का 25 प्रतिशत रू0 55,70,683 (पचपन लाख सत्तर हजार छः सौ तिरासी मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा-

1- आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम०एम० -12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमैन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

4– यदि आवेदक द्वारा बेसमैन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमैण्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

5– बेसमैन्ट हेतु निर्मित गढ्ढे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो। यदि बेसमैन्ट का निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

6– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7– यदि बेसमैन्ट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो बेसमैन्ट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र– बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

संयुक्त निदेशक (खनन)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी
जनपद नैनीताल

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूंगी।

Ann-15

—: आदश :—

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग–1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 766/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021–22 दिनाँक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.ई./2021–22 दिनाँक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426–1431 फसली के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रकवा 1.676 है., खाता संख्या 65 के खसरा नं. 231/4/2 रकवा 1.474 है. भूमि व खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रकवा 2.745 है. भूमि कुल 5.895 है. भूमि मध्ये रकवा 0.753 है. भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 12 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 1,44,693 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/– प्रतिघनमीटर की दर से रु. 02,22,82,729/– (दो करोड़, बाईस लाख, बयासी हजार, सात सौ उन्तीस रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 37,88,064/– (सैंतीस लाख, अठासी हजार, चौंसठ रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 55,70,683/– (पचपन लाख, सत्तर हजार, छः सौ तिरासी रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, होटल निर्माण के बेसमेन्ट पार्किंग निर्माण हेतु बेसमैन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू–भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एन.–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमैन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमैण्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमैन्ट हेतु निर्मित गढ्ढे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमैन्ट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो

क्रमशः–2

(2)

निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7. यदि बेसमैन्ट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमैन्ट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।

8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।

9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोडते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेगा।

10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से बाहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जायेगी।

12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अर्न्तगत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट :- उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह०/-
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1643/30-जी.सी./2021-22 दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2- उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।

3- उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।

4- श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.),
नैनीताल

–: आदेश :–

उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/ 2021 दिनाँक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 01.12.2021 को पारित आदेश व तद्क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1610/30–जी.सी./2021– 22 दिनाँक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाँक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सेमलचौड़ में 01. करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतलराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 05. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पतापानी, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में ग्राम पतापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :–

<u>01:– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी के पक्ष मे स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा :–</u>
इस कार्यालय के आदेश संख्या 1044/30– जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237–35,214.00–2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.88 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.88 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

<u>02– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा</u> :– इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30– जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैगलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्बा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रक्बा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्बा 2.475 है0 भूमि कुल 5.695 है0 भूमि मध्ये रक्बा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल

फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसामेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्तीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320–1,44,693–10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

<u>03– श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा</u> :– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/ भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एंव 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एंव खसरा संख्या 230/4 एंव खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रकवा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2161/7–ए–1/2021–05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूंगी मे 2.430है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

<u>04:– श्री सुभाष चन्द पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा</u> :– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रकवा 1.253 है0,खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रकवा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रकवा 0.996 है0,खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रकवा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रकवा 229/5/1 रकवा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रकवा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,840 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2140/7–ए–1/2021–08/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड मे 2.470है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

06:– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी

1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1रामि0,161/3मि0,173/2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्साठ हजार, दो सौ पैंतालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तथा बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने व पूर्व में भी अवैध खनन में संलिप्तता पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस दिनाँकित 05.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 22 अक्टूबर, 2021 व 1644/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर व श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालढूंगी को जारी की गई बेसमेन्ट खुदान की अनुमति को, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र की परिधि में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत अनुज्ञाधारक द्वारा फेंसिंग करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जुर्माने की धनराशि जमा होने तक प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत क्षेत्र सीज समझा जाये। अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल उक्तानुसार फेंसिंग/सीज की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1850 /30–जी.सी./2021–22

दिनाँक :07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, औद्योगिक अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी।
3– अपर निदेशक, खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
4– श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
5– श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूंगी।
6– हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

–: नोटिस :–

श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह,
निवासी ग्राम सूद कालोनी, तहसील बाजपुर,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/2021 दिनाँक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 01.12.2021 को पारित आदेश व तद्क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30–जी.सी./2021– 22 दिनाँक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाँक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सेमलचौड़ व ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा एवम समतलीकरण अनुज्ञाओं का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30– जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्बा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रक्बा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्बा 2.475 है0 भूमि कुल 5.695 है0 भूमि मध्ये रक्बा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनाँक 05.01.2022 को आपको प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.

2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320–1,44,693–10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप दिनाँक 25.11.2021 तथा 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में पाये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नही हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशो/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 63 /30–जी.सी./2021–22 दिनांक 07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– तहसीलदार, बाजपुर, जिला ऊधमसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

72

72 84

संलग्नक–23
क्रमांक–8

प्रेषक

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या : 25/30–जी.सी./2022–23 दिनाँक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाड़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरान कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022–23 दिनाँक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाऐं स्वीकृत की गयी थी, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित शर्तों एवम् प्रतिबंधित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय–समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाड़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरान करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल–सेमलचौड़/कालाढूंगी)
2	[illegible] सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पतापानी, तहसील कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल–पतापानी/कालाढूंगी)
3	[illegible] चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी [illegible]पुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल–सेमलचौड़/कालाढूंगी)
4	कृपाल सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, ग्राम शिवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल–सक्खनपुर/रामनगर)
5	[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, ग्राम [illegible], तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल–सक्खनपुर/रामनगर)
6	[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, निवासी बिलनपुर, कालाढूंगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल–उदयपुरी/कालाढूंगी)
7	[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल–बन्दरजूड़ा/कालाढूंगी)
8	[illegible] सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, ऊ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल–सेमलचौड़/कालाढूंगी)
9	[illegible] सिंह पुत्र श्री [illegible] सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल–सेमलचौड़/कालाढूंगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाड़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरान कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाड़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाड़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी उनके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तद्क्रम में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु [illegible] द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

–: आदेश :–

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 औद्योगिक विकास अनुभाग–1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन तथा उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 783/भू.खनि.इ./खनन अनु./2021–22 दिनाँक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या एवम् निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 2340/खनन/भू.खनि.ई./2021–22 दिनाँक 05 अक्टूबर, 2021 के क्रम में आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल को ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426–1431 फसली के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121मि., खसरा संख्या 88मि., तथा खसरा संख्या 89मिन, व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88मि. व खसरा संख्या 89मि. मध्ये 0.241 है. भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई एवम् गहराई 9.14 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए, जिसमें 35214 घनमीटर आर.बी.एम. निकलने की सम्भावना है, जिसकी रॉयल्टी रु. 154/– प्रतिघनमीटर की दर से रु. 54,22,956/– (चव्वन लाख, बाईस हजार, नौ सौ छप्पन रुपये मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रॉयल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रु. 09,21,903/– (नौ लाख, ईक्कीस हजार, नौ सौ तीन रुपये मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराये जाने तथा इसके अतिरिक्त रॉयल्टी का 25 प्रतिशत रु. 13,55,739/– (तेरह लाख, पचपन हजार, सात सौ उन्तालीस रुपये मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराये जाने के उपरान्त, बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमैन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भू–भाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35214 घनमीटर आर.बी.एम. की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

इसके अतिरिक्त आवेदक को निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा :–

1. आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति खनन कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम.एम.–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।
2. स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवम् पर्यावरण की सुरक्षा के लिए शासन एवम् जिलाधिकारी, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमेन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
4. यदि बेसमैन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमैण्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
5. बेसमैन्ट हेतु निर्मित गढ्ढे के चारों तरफ फेंसिंग की जायेगी, ताकि कोई दुर्घटना घटित न हो। यदि बेसमैन्ट निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
6. यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

क्रमशः–2

7. यदि बेसमैन्ट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो बेसमैन्ट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
8. आर.बी.एम. की निकासी/उठान उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये आर.बी.एम. पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क लिया जायेगा।
9. खुदान स्थल का सीमांकन आवेदक द्वारा संलग्न खसरा/मानचित्र के अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ते हुए राजस्व एवम् खनन विभाग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्वयं के व्यय पर किया जायेगा, जिसका सत्यापन अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् किया जायेगा। तत्पश्चात् ही खुदान का कार्य किया जायेग।
10. स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खुदान कार्य पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। सीमांकित क्षेत्र से बाहर खुदान किए जाने पर अनुज्ञाधारक पर नियमानुसार, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवम् भण्डारण का निवारण) नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
11. खुदान के दौरान किसी भी भाग/भूखण्ड को सुरक्षित रखे जाने हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था आवेदक द्वारा अनिवार्य रुप से की जायेगी।
12. आवेदक द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण हेतु वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों/नियमों के अन्तर्गत स्वयं कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट :– उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

ह./–
(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1644/30–जी.सी./2021–22 दिनांक : 22 अक्टूबर, 2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को शासन के पत्र संख्या 2413/VII-1/2018/5(24)/18 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2– उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी।

3– उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।

4– श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़ बैलपड़ाव, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।

अपर जिलाधिकारी (वि./रा.,
नैनीताल

Annexure 18

Ann: 17

<u>सयुंक्त निरीक्षण आख्या</u>

विषय : श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव, तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में बेसमेन्ट खुदान किये जाने की अनुमति चाहने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं0 1601/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 27 सितम्बर 2021 के अनुपालन में कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के पत्र सं0 730/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 27 सितम्बर 2021 के द्वारा आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव, तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में बेसमैन्ट खुदान किये जाने की अनुमति के आलोक में उपरोक्त आवेदित स्थल का निरीक्षण दिनांक 01.10.2021 को राजस्व विभाग एंव खनन विभाग के द्वारा आवेदक की उपस्थिति में किया गया।

कार्यालय पत्रावली का अवलोकन करने पर आवेदक द्वारा बेसमैन्ट खुदान किये जाने हेतु उक्त भूमि पर बेसमैन्ट खुदान के लिए खनन अनुज्ञा के लिये निर्धारित आवेदन प्रपत्र एम0एम0–8 पर आवेदन किया गया है तथा अनुज्ञा आवेदन शुल्क रू0 5,000/– ई चालान सं0 08530921E0543019 दिनांक 21 सितम्बर 2021 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है।

क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दी गयी आख्यानुसार ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल की वर्तमान खतौनी 1426–1431 फसली के खाता संख्या 14 के खसरा न0 121मि0 0.244है0, खसरा न0 88मि0 0.050है0 तथा खसरा संख्या 89मिन रकवा 0.244है0 कुल रकवा 0.538है0 भूमि वर्ग 01 क संक्रमणीय भूमिधरी में करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है। तथा उक्त ग्राम के खाता संख्या 32 के खसरा न0 88मि0 0.257है0 तथा खसरा न0 122मि0 0.281है0 कुल रकवा 0.538है भूमि श्रेणी 1 (क) संक्रमणीय भूमिधरी में जसवन्त सिंह हरवन्त सिंह पुत्रगण चरन सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है। कुल भूमि 1.076है0 भूमि मध्ये खसरा न0 88मि0 व खसरा न0 89मि0 भूमि मध्ये 0.241है0 (175X13.76) भूमि बेसमेन्ट हेतु प्रस्तावित है, प्रस्तावित भूखण्ड के 125मी0 के दायरे में विद्यालय एवं आबादि स्थित है।

आवेदक श्री करम सिह, पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेसलचौड, बैलपडाव, तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल द्वारा बेसमेन्ट निर्माण हेतु मानचित्र शक्ति एसोसिएटस (श्री कपिल शर्मा, पटेल नगर, कोर्ट रोड, काशीपुर) से तैयार करवाकर जो ग्राम प्रधान सेमलचौड, (बैलपड़ाव) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। मानचित्र में बेसमैन्ट बनाये जाने हेतु आवेदन श्री करम सिंह पुत्र श्री करतार सिंह के द्वारा किया गया है। आवेदक को बेसमैन्ट के निर्माण हेतु सहमति श्री जसवन्त सिंह, हरवन्त सिंह, पुत्रगण श्री चरन सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव, तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल द्वारा नोटराईज शपथ पत्र संख्या IN-UK44651379129934T दिनांक 21.09.2021 द्वारा आवेदक को बेसमैन्ट बनाने की अनुमति दिये जाने में शपथकर्ता को कोई आपत्ति नही है और न ही भविष्य में होगी का शपथ पत्र दिया गया है।

आवेदक श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड, बैलपडाव, तहसील कालाढूँगी जिला नैनीताल के द्वारा ग्राम सेमलचौड़ तहसील कालाढूँगी, जिला नैनीताल में शपथकर्ता को बेसमेन्ट बनाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त यदि शपथकर्ता द्वारा बेसमेन्ट नही बनाया जाता है तो विभाग द्वारा की गयी

कार्यवाही की सम्पूर्ण जिम्मेदरी शपथकर्ता की होगी का नोटराइज्ड पत्र सं IN-UK44656303457095T दिनांक 21 सितम्बर 2021 दिया गया है।

प्रस्तावित बेसमेन्ट में मानचित्रकार कपिल शर्मा (शक्ति एसोसिएटस पटेल नगर कोर्ट रोड काशीपुर) द्वारा बनाये गये मानचित्रानुसार उल्लिखित चारों दिशाओं में सेटबैक छोडने उपरान्त एवं क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा दिखाये गये स्थल व खसरा नम्बरो में राजस्व मानचित्र में चिन्हाकित क्षेत्र की पुष्टि करने के आधार पर आवेदक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आवेदित स्थल की पैमाईस की गयी, जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौडाई एंव गहराई 9.14 मीटर क्षेत्रफल में साइज में स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए 35214 घनमीटर आर0 बी0 एम0 निकलने की सम्भावना है। जिसकी रायल्टी रू0 154/–प्रतिघनमीटर की दर से रू0 54,22,956 (चव्वन लाख बाईस हजार नौ सौ छप्पन मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त कुल रायल्टी का 17 प्रतिशत (क्षतिपूर्ति/स्टाम्प शुल्क) रू0 09,21,903/–(नौ लाख इक्कीस हजार नौ सौ तीन रू मात्र) निर्धारित लेखा शीर्षक में एकमुश्त जमा कराया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त रायल्टी का 25 प्रतिशत रू0 13,55,739 (रू0 तेरहा लाख पचपन हजार सात सौ उनचालिस मात्र) जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

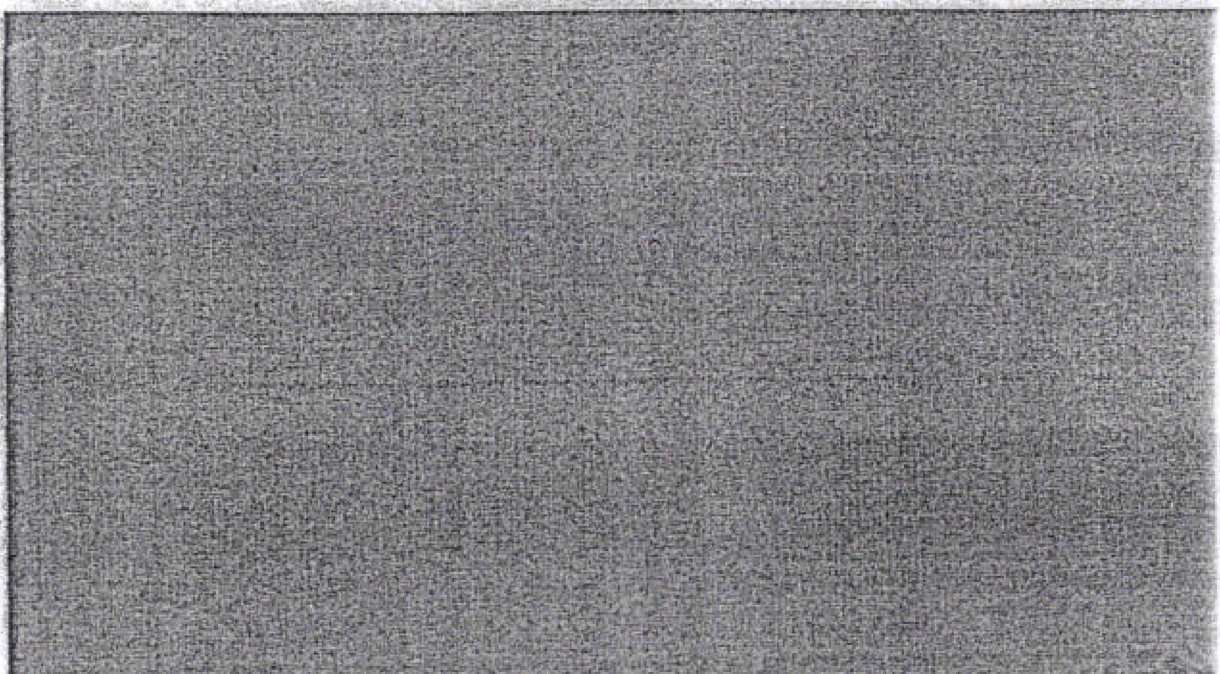

आवेदित स्थल के फोटोग्राफ

<u>इसके अतिरिक्त अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगाः–</u>

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0 –12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग बेसमैन्ट खुदान के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

4– यदि आवेदक द्वारा बेसमैन्ट खुदान के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो बेसमैण्ट खुदान के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

5– बेसमैन्ट हेतु निर्मित गढढे के चारों तरफ फेंसिग की जायेगी ताकि कोई दुर्घटना घटित ना हो। यदि बेसमैन्ट का निर्माण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

6– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

7– यदि बेसमैन्ट निर्माण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो बेसमैन्ट निर्माण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी।

अतः सयुंक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र– बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

संयुक्त निदेशक (खनन)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी
जनपद नैनीताल

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूंगी।

—: नोटिस :—

श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह,
निवासी ग्राम सेमलचौड़,
तहसील कालाढूंगी,
जनपद नैनीताल।

अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 1044/भू.खनि.ई./खनन अनु./2021–22 दिनाँक 06 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनाँक 25.11.2021 को उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी एवम् संयुक्त निदेशक (खनन, कुमाऊँ मण्डल), भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एवम् खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सेमलचौड़ में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञाओं का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में संलग्न कर महोदय के अवलोकनार्थ एवम् अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है, संयुक्त निरीक्षण आख्या में अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया,. जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है.जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2858.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नही होने पर उक्त संदर्भित शासनादेशो/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 61 /30–जी.सी./2021–22
दिनांक : 05 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3– तहसीलदार, कालाढूंगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संलग्नक -27
पैरा - 1

संयुक्त निरीक्षण आख्या

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एंव अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश में याचिका में उल्लिखित तथ्यो एंव याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के क्रम में याचिका से संबधित उत्तरदाता संख्या 7–एल0एस0सी0स्टोन क्रेशर,ग्राम गोबरा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 8–एल0 एस0 सी0 स्टोन क्रेशर,ग्राम बन्नाखेड़ा ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 9–दाबका स्टोन क्रेशर,ग्राम गजरौला ,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर 10–ओमकार स्टोन क्रेशर,ग्राम इटव्वा,तहसील बाजपुर,जिला उधमसिंहनगर द्वारा ग्राम बैलपड़ाव तहसील कालाढूंगी, जनपद मे किये जा रहे अवैध खनन के संबध में याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 7 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण की जाच कराते हुए 30 दिन के अन्दर नियमानुसार आदेश पारित किये जाने निर्देश दिये गये है, उक्त माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेष संख्या 1210/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 20 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रकरण में जाच उपलब्ध कराये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण करते हुए तथा याचिकाकर्त्ता व उत्तरदाता संख्या 07 से 10 को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपनी स्पष्ट जांच आख्या मय फोटोग्राफ चार दिवस के अन्दर उपलब्ध कराये जाने के संबध में आज दिनांक 27.12.2021 को उपजिलाधिकारी कालाढूंगी एवं अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तरांखण्ड जनपद नैनीताल के नेतृत्व में राजस्व एंव खनन विभाग की सयुंक्त टीम के द्वारा जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी में ग्राम सैमलचौड में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञायो एंव समतलीकरण अनुज्ञायो का सयुंक्त निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। इस संबन्ध मे अवगत कराना है कि उक्त याचिका मे उत्तरदाता संख्या 07 से 10 से संबधित समस्त स्टोन क्रेशर तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर में स्वीकृत एवं स्थापित है तथा ग्राम सैमलचौड/बैलपड़ाव में उक्त स्टोन क्रेशरों के नाम कोई भी खनन अनुज्ञाये वर्तमान मे स्वीकृत नही है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के पत्र संख्या 357/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 24.12.2021 के द्वारा जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य मे उत्तरदाता संख्या 7 से 10 एवं याचिकाकर्ता को दिनांक 27.12.2021 को कार्यालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है। स्थलीय निरीक्षण आख्याये निम्नवत है:–

<u>01:– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:–</u> कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1644/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या-89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व

... भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमंत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237–35,214.00–2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसेत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 1)।

02:– श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा:– कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश संख्या 1643/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रक्वा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के , खसरा संख्या 231/4/2 रक्वा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रक्वा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रक्वा 0.753 है0 भूमि में 114.60 मीटर लम्बाई X 65.76 मीटर चौड़ाई X 12 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग

[बेस]मेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह मे [ले] जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई में कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौडाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 126 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320-1,44,693-10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो वि॰ उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल **2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन** की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से **रू0 15,44,21,400.00** (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की जाती है, मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 2)।

<u>03- श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:-</u>
कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021 -22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एंव 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 एंव खसरा संख्या 230/4 एंव खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रकबा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2161/7–ए–1/2021– 05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूँगी मे 2.430है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

04:– श्री सुभाष चन्द्र पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा:– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 229/4 रक्बा 1.253 है0,खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 229/3/1 रक्बा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रक्बा 0.996 है0,खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 229/5/2 रक्बा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रक्बा 229/5/1 रक्बा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये रक्बा 2.470 है0 भूमि में (100 मीटर लम्बाई X 100 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई X 84 मीटर चौड़ाई X 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2140/7–ए–1/ 2021–05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड मे 2.470है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 1909/VII-A-1/2021/5–31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160/1स,160/1समि0,161/3मि0,173/2मि0,174/2,175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई X 28 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई X 34 मीटर चौड़ाई X 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई X 40 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते

...) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंचातीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक 5)।

अतः तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक)
क्षेत्र– बैलपड़ाव

(सर्वेक्षक)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी

(अपर निदेशक,)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
हल्द्वानी

(उपजिलाधिकारी)
कालाढूंगी

कार्यालय उपजिलाधिकारी कालाढूंगी जिला नैनीताल
पत्र संख्या:–3&/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर, 2021

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने आदेश संख्या:–1810/30–जी0सी0/2021–22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–200/2021 हरकेश कुमार बनाम राज्य एवम् अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 पारित आदेश के सम्बन्ध में महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के कम मे अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1. हरकेश कुमार पुत्र हंसराज निवासी ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (याचिका कर्ता) 2.संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम गोबरा तहसील बाजपुर (उत्तरदाता संख्या 7) 3. संचालक, एल0एस0सी0 स्टोन केशर, ग्राम बन्नाखेड़ा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या–8) 4. संचालक, दावका स्टोन केशर ग्राम गजरौला, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या–9) 5. संचालक, ओंकार स्टोन केशर, ग्राम इटावा, तहसील बाजपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तरदाता संख्या–10) को दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किये गये।

उक्त नोटिस के कम में केवल उत्तरदाता संख्या 7 व 8 एल0एस0सी0 इन्फ्राटेक लि0 ग्राम गोबरा एवं ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.12.2021 के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त न ही याचिका कर्ता हरकेश कुमार एवं अन्य उत्तरदाता दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित नहीं हुए एवं न ही उनके द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में महोदय को यह भी अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई हल्द्वानी के साथ ग्राम रांगलचौड़ में 01. श्री करण सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम संमलचौड़ तहसील कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम गूल कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमैन्ट अनुज्ञा 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम रोगलचौड़ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 04.श्री सुभाष चन्द पुत्र टीकाराम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड़ तहसील लालकुऑं के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा 05. श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण रिपोर्ट पृथक से संलग्न है)

अतः उपरोक्तानुसार जॉच आख्या मय संलग्नकों सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार।

(रेखा कोहली)
उप जिलाधिकारी,
कालाढूंगी।

संलग्नक-28

-: नोटिस :-

श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह,
निवासी ग्राम सैमलचौड़,
तहसील कालाढूंगी,
जनपद नैनीताल।

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/2021 दिनाँक
28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल
में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय
द्वारा दिनाँक 01.12.2021 को पारित आदेश व तद्क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/
30-जी.सी./2021- 22 दिनाँक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाँक 27.12.
2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर
निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सैमलचौड़ व ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत
बेसमेन्ट अनुज्ञा एवम समतलीकरण अनुज्ञाओं का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या में अवगत
कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर
2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद
नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा
संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या
88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0
मध्ये 0.241 हे0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6
मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने
वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी
है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में
अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया
गया,. जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध
रूप से की गयी है.जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल
फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध
खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन)
अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2858.96 घनमीटर अवैध खनन की
कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख
उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी, जिसके क्रम में इस
कार्यालय द्वारा दिनाँक 05.01.2022 को आपको प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था,
जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिंनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा
स्थलीय निरिक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर
चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66
मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें
दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं
पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घन
मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि
पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (
स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा
कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं
खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.
04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की

दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

आपका यह कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण) नियमावली 2005 यथा संशोधित, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23–सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन है।

अतः आप दिनाँक 25.11.2021 तथा 27.12.2021 को किये गये निरीक्षण में पाये गये अवैध खनन के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिन अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तार प्राप्त नही हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशो/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही कर दी जायेगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 62 /30–जी.सी./2021–22 दिनांक :07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि :–

1– उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– तहसीलदार, कालाढूँगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संलग्नक- 29

—: आदेश :—

उप जिलाधिकारी, कालाढूँगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/ 2021 दिनाँक 28 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से अगवत कराया गया है कि, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 01.12.2021 को पारित आदेश व तद्क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30–जी.सी./2021– 22 दिनाँक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनाँक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी, अपर निदेशक, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सेमलचौड़ में 01. करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा, 02. श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बेसमैन्ट अनुज्ञा, 03. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 04. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीकाराम, निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतलराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ के पक्ष में समतलीकरण अनुज्ञा, 05. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी के पक्ष में ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है :–

<u>01:– श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूँगी के पक्ष मे स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा</u> :– इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30– जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह,निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष मे ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये सयुंक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई x 12 मीटर चौड़ाई x 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया,. जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है,जिसमें औसतानुसार (80 मी0 x 12 मी0 x 1.86 मी0) कुल 2856.96 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई x 13.76 मीटर चौड़ाई x 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घन मीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237–35,214.00–2856.96) 14,166.04 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई x 16 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घन मीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

<u>02:–</u> श्री कृपाल सिंह पुत्र करतार सिह निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर के पक्ष में स्वीकृत बैसमेन्ट अनुज्ञा :– इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30– जी0सी0/2021–22 दिनांक 22 अक्टूबर 2021 के द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम सूद कालोनी तहसील बाजपुर, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 रकबा 1.676 है0,खाता संख्या 85 के खसरा संख्या 231/4/2 रकबा 1.474 है0, खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 रकबा 2.475 है0 भूमि कुल 5.895 है0 भूमि मध्ये रकबा 0.753 है0 भूमि मे 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई में स्वैल

फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 1,44,693 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह मे किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के
द्वारा औसतानुसार 70 मीटर लम्बाई x 45 मीटर चौड़ाई x 14.00 मीटर गहराई मे कार्य किया गया, जिसमें स्वीकृत
गहराई 12 मी के स्थान पर 2.0 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें
औसतानुसार (70मी0 x 45 मी0 x 2.0मी0) कुल 10,080 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध
खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021
एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल
10,080 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0
31,04,640.00 (रू0 इक्कतीस लाख चार हजार छ सौ चालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गई है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल 114.60 मीटर लम्बाई x 65.76 मीटर चौड़ाई x 12 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 128 मीटर लम्बाई x 117.50 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई में कुल 355320 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त अनुज्ञा स्थल में अवैध खनन की 10,080 घन मीटर की मात्रा एंव स्वीकृत मात्रा को कम करने उपरान्त (355320–1,44,693–10,080) 200547 घन मीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल कुल 2,00,547.00 घन मीटर/4,41,204.00 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का पाच गुना अर्थात रू0 350 प्रति टन की दर से रू0 15,44,21,400.00 (रू0 पन्द्रह करोड़ चौवालीस हजार इक्कीस हजार चार सौ) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की जाती है। बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी उक्त अनुज्ञा को निरस्त करने की संस्तुति की गई है।

<u>03– श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड के पक्ष मे समतलीकरण अनुज्ञा</u> :– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के पत्र संख्या 876/ भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 12.11.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 78 के खसरा संख्या 231/5 एंव 230/5/1, खाता संख्या 65 के खसरा संख्या 231/4/2 एंव खसरा संख्या 230/4 एंव खाता संख्या 29 के खसरा संख्या 231/3/1 कुल 7.128 है0 भूमि मध्ये रकबा 2.430 है0 भूमि में (162 मीटर लम्बाई x 150 मीटर चौड़ाई x 15 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2161/7–ए–1/2021–05/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड तहसील कालाढूंगी मे 2.430है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

<u>04:– श्री सुभाष चन्द पुत्र टीका राम निवासी ग्राम दुर्गापालपुर, मोतीराम हल्दूचौड तहसील लालकुंआ के पक्ष मे</u>
<u>समतलीकरण अनुज्ञा</u> :– कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,नैनीताल,स्थित हल्द्वानी के
पत्र संख्या 960/भू0ख0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम
निवासी ग्राम दुर्गापालपुर,मोतीराम हल्दूचौड़, तहसील लालकुआ, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड, तहसील
कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 65 के खसरा संख्या 229/4 रकबा 1.253 है0,खाता संख्या 29 के खसरा
संख्या 229/3/1 रकबा 1.521 है0, खसरा संख्या 230/3 रकबा 0.998 है0,खाता संख्या 78 के खसरा संख्या
229/5/2 रकबा 0.032 है0, खाता संख्या 70 के रकबा 229/5/1 रकबा 1.215 है0 भूमि कुल 5.017 है0 भूमि मध्ये
रकबा 2.470 है0 भूमि मे (100 मीटर लम्बाई x 100 मीटर चौड़ाई x 7 मीटर गहराई)(175 मीटर लम्बाई x 84 मीटर
चौड़ाई x 7 मीटर गहराई) में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण/खनन अनुज्ञा की अनुमति व उक्त भूभाग पर
समतलीकरण/खनन अनुज्ञा से निकलने वाले कुल 2,76,640 घनमीटर आर0बी0एम0 की स्वीकृति के संबध मे
महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड को पत्र प्रेषित किया गया है।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास खनन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2140/7–ए–1/
2021–08/2021 दिनांक 23.12.2021 के द्वारा श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री टीका राम के पक्ष मे ग्राम सेमलचौड मे 2.
470है0 भूमि मे समतलीकरण हेतु अल्पअवधि की खनन अनुज्ञा स्वीकृत की गयी है।

05:– श्री हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पतलापानी तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत समतलीकरण
<u>अनुज्ञा</u> :– उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास खनन अनुभाग 1 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या
1909/VII-A-1/2021/6-31/21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी

1409 / VII-A-1 / 2021 / 5–31 / 21 दिनांक 12 नवम्बर 2021 के द्वारा श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह,निवासी ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी, जनपद नैनीताल के खाता संख्या 94,33,30 के खसरा संख्या 160 / 1स,160 / 1समि0,161 / 3मि0,173 / 2मि0, 174/2, 175/1 कुल 3.687 है0 मध्ये 2.337 है0 भूमि में 06 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए समतलीकरण अनुज्ञा हेतु कुल 2,24,352 घन मीटर आर0बी0एम0 की निकासी छ माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनाक 27.12.2021 को स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में 2.337 है0 क्षेत्रफल में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में स्वीकृत गहराई 6.0 मी के स्थान पर गहराई 8 मीटर तक (2.0 मीटर अधिक) अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से खनन किया गया है, जिसमें औसतानुसार (100 मीटर लम्बाई x 28 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) (37 मीटर लम्बाई x 34 मीटर चौड़ाई x 2.0 मीटर गहराई) में कुल 11,476.00 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 40 मीटर लम्बाई x 40 मीटर चौड़ाई x 3.5 मीटर गहराई में 8960 घन मीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 20436 घन मीटर/44959.20 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6759245.00 (रू0 सड़सठ लाख, उन्सठ हजार, दो सौ पैंतालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की की गई है।

अतः उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त निरीक्षण आख्या की संस्तुति के आधार पर तथा बेसमेन्ट खुदान हेतु दी गयी अनुमति में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने व पूर्व में भी अवैध खनन मे संलिप्तता पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा निर्गत नोटिस दिनाँकित 05.01.2022 के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या 1643/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 22 अक्टूबर, 2021 व 1644/30–जी.सी./2021–22 दिनाँक 22 अक्टूबर, 2021 द्वारा श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर व श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेगलचौड़, तहसील कालढूंगी को जारी की गई बेसमेन्ट खुदान की अनुमति को, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। प्रश्नगत क्षेत्र की परिधि में सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत अनुज्ञाधारक द्वारा फेंसिंग करवाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जुर्माने की धनराशि जमा होने तक प्रश्नगत क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कार्य न किया जाये। तदनुसार प्रश्नगत क्षेत्र सीज समझा जाये। अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल उक्तानुसार फेंसिंग/सीज की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 1850 /30–जी.सी./2021–22 दिनाँक : 07 जनवरी, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, औद्योगिक अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– उपजिलाधिकारी, कालाढूंगी।
3– अपर निदेशक, खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
4– श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी ग्राम सूद कॉलोनी, तहसील बाजपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर।
5– श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेगलचौड़, तहसील कालढूंगी।
6– हिम्मत सिंह पुत्र करतार सिंह निवासी ग्राम पत्तापानी तहसील कालाढूंगी।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संलग्नक-30
क्रमांक-1

प्रेषक

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

सेवा में,

सचिव,
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या : 25/30-जी.सी./2022-23

दिनाँक : 03 नवम्बर, 2022

विषय : सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार बाढ़ लगाये जाने तथा स्वीकृत स्थल में मिट्टी का भरान कर उक्त स्थल को समतल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवम् खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड जनपद नैनीताल के कार्यालय पत्र संख्या 518/भू.खनि.ई./खनन अनु./2022-23 दिनाँक 27 अगस्त, 2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि जनपद नैनीताल के तहसील कालाढूंगी एवम् रामनगर में खनन अनुज्ञाऐं स्वीकृत की गयी थीं, जिसके कतिपय अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र में उल्लिखित उद्देश्य एवम् प्रतिबन्धित शर्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया है, जिस हेतु उनके कार्यालय द्वारा समय-समय पर अनुज्ञाधारकों को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में चारों ओर चार दीवानी निर्माण या तार बाढ़ करने तथा निकाले गये उपखनिज की जगह मिट्टी भरान करने व उक्त स्थल को समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये थे। अनुज्ञाधारकों का विवरण निम्नानुसार है :-

1	सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेड़ा, बाजपुर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूंगी)
2	हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल-पत्तापानी/कालाढूंगी)
3	सुभाष चन्द्र पुत्र श्री टीका राम, निवासी दुर्गापालपुर, लालकुआँ, जिला नैनीताल,	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूंगी)
4	कुलवन्त सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम जीवानन्दपुर, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
5	अमरीक सिंह पुत्र श्री रेशम सिंह, ग्राम बैलजुड़ी, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-सक्खनपुर/रामनगर)
6	गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह, निवासी दियानपुर, कालाढूंगी, जिला नैनीताल	(अनुज्ञा स्थल-उदयपुरी/कालाढूंगी)
7	रविन्द्र सिंह पुत्र श्री उमेद सिंह, ग्राम बन्दरजूड़ा, कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल-बन्दरजूड़ा/कालाढूंगी)
8	कृपाल सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, निवासी सूद कॉलोनी, बाजपुर, ऊ.सि.नगर	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूंगी)
9	रतन सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सेमलचौड़, कालाढूंगी	(अनुज्ञा स्थल-सेमलचौड़/कालाढूंगी)

कई बार नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत खनन अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढे के चारों ओर चार दीवारी निर्माण/तार बाढ़ व खोदे गये गड्ढे में मिट्टी भरान कर उक्त स्थल को समतल नहीं किया गया है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त स्थलों (गड्ढों) में चार दीवारी/तार बाढ़ न होने पर अनाधिकृत प्रवेश होने व जान माल की हानि/दुर्घटना होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिस हेतु स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र पर चार दीवारी/तार बाढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। नोटिस प्रेषित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। तदक्रम में आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्या के क्रम में उक्त अनुज्ञाधारको को स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या 344/30- जी.सी./2022-23 दिनाँक 23 सितम्बर, 2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किये गये हैं, परन्तु उक्त अनुज्ञाधारकों द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में खोदे गये गड्ढों को एक सप्ताह के अन्दर भरवाकर समतल करते हुए फोटोग्राफ अथवा कोई सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

शासन स्तर से निर्गत की जाने वाली समतलीकरण अनुज्ञाओं में समतलीकरण के पश्चात् खोदे गये गड्ढों को भरे जाने हेतु कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाविकारी,
नैनीताल

संलग्नक-32 94

सयुंक्त निरीक्षण आख्या

कार्यालय जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के पत्र संख्या 1910/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 15.03.2022 के अनुपालन मे अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म एकाई एवं उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के नेतृत्व मे राजस्व विभाग एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा आज दिनांक 26.03.2022 को ग्राम सैमलपौड मे स्वीकृत समतलीकरण मे श्री सुखराज सिंह पुत्र कुलवन्त सिह नियासी ग्राम बन्नाखेडा तहसील बाजपुर जिला उधमसिहनगर के पक्ष मे ग्राम सैमलपौड तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल अन्तर्गत निजी नाप भूमि मे समतलीकरण अनुज्ञा स्थल एवं श्री गुरविन्दर सिह पुत्र श्री ध्यान सिह ग्राम बिशनपुर तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम बिशनपुर तहसील कालाढूंगी मे स्वीकृत समतलीकरण अनुज्ञा स्थल का औचक निरीक्षण अनुज्ञाधारक/प्रतिनिधियो की उपस्थिति में किया गया। जिसमे उपरोक्त अनुज्ञा धारको के द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत ही कार्य किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त श्री काबुल सिंह पुत्र दलीप सिंह निवासी ग्राम कनकपुर तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल के पक्ष मे ग्राम कनकपुर तहसील कालाढूंगी के पक्ष मे स्वीकृत अनुज्ञा स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसमे स्वीकृत अनुज्ञा स्थल के अन्तर्गत ही खनन कार्य किया गया है। जिसकी स्वीकृत अनुज्ञा अवधि दिनांक 09.03.2022 को समाप्त हो चुकी है।

अतः तद्नुसार निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र-बैलपड़ाव/बन्दरजूडा तहसील कालाढूंगी।	निरीक्षक भूतत्व एवं खनन इकाई हल्द्वानी।	अपर निदेशक भूतत्व एवं खनन इकाई हल्द्वानी।	उपजिलाधिकारी कालाढूंगी।

संशोधित नोटिस

उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी के कार्यालय पत्र संख्या 360/पी.ए./शिविर/2021 दिनाँक 28 दिसम्बर, 2021 द्वारा अवगत कराया गया, कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या 200/2021 हरकेश कुमार बनाम् राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2021 को पारित आदेश व तद्क्रम में इस कार्यालय के आदेश संख्या 1810/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में दिनांक 27.12.2021 को क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक, क्षेत्र बैलपड़ाव, सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, हल्द्वानी के साथ ग्राम सेमलचौड़ व ग्राम पत्तापानी में स्वीकृत बेसमेन्ट अनुज्ञा एवं समतलीकरण अनुज्ञाओं का निरीक्षण किया गया, जिसकी निरीक्षण आंख्या में अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या 1644/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के द्वारा श्री करम सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, निवासी ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूंगी जनपद नैनीताल के पक्ष में ग्राम सैमलचौड़, तहसील कालाढूंगी नैनीताल के खाता संख्या 14 के खसरा संख्या 121 मि0, खसरा संख्या 88 मि0 तथा खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा संख्या 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन व खाता संख्या 32 के खसरा सं0 88 मि0 व खसरा संख्या 89 मिन0 मध्ये 0.241 है0 भूमि में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई में स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए बेसमेन्ट निर्माण हेतु बेसमेन्ट खुदान की अनुमति व उक्त भूभाग पर बेसमेन्ट खुदान से निकलने वाले कुल 35,214 घनमीटर आर0बी0एम0 की निकासी तीन माह में किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 25.11.2021 को किये गये संयुक्त निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के द्वारा औसतानुसार 80 मीटर लम्बाई X 12 मीटर चौड़ाई X 11 मीटर गहराई में कार्य किया गया। जिसमें स्वीकृत गहराई 9.14 मी के स्थान पर 1.86 मीटर अधिक गहराई अनुज्ञाधारक के द्वारा अवैध रूप से की गयी है, जिसमें औसतानुसार (80 मी0 X 12 मी0 X 1.86 मी0) कुल 2856.96 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 2856.96 घनमीटर अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 308.00 प्रतिघनमीटर की दर से रू0 8,79,944.00 (आठ लाख उनासी हजार नौ सौ चौवालीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी थी, जिसके क्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.01.2022 को आपको प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल पर दिनांक 27.12.2021 को गठित संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अनुज्ञाधारक के पक्ष में स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 175 मीटर लम्बाई X 13.76 मीटर चौड़ाई X 9.14 मीटर गहराई के स्थान पर औसतानुसार 175 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 11.66 मीटर गहराई में कुल 52,237 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) खनन कार्य किया गया है, जिसमें दिनांक 25.11.2021 को उक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल में 2856.96 घनमीटर अवैध उपखनिज की मात्रा एवं पूर्व में स्वीकृत उपखनिज की मात्रा से कम करने उपरान्त (52237-35,214.00-2856.96) 14,166.04 घनमीटर उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्त के अतिरिक्त स्वीकृत अनुज्ञा स्थल से लगी हुई भूमि पर अनुज्ञाधारक के द्वारा 95 मीटर लम्बाई X 16 मीटर चौड़ाई X 3.5 मीटर गहराई में 8512.00 घनमीटर (स्वैल फैक्टर 1.6 मानते हुए) उपखनिज का अवैध खनन किया गया है, उक्तानुसार अनुज्ञाधारक के द्वारा कुल 22678.04 घनमीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन कर परिवहन किया गय है, जो कि उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, भण्डारण एवं परिवहन का निवारण) नियमावली 2021 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियनन) अधिनियम 19'57 की धारा 23 सी का उल्लंघन है। इस प्रकार कुल 22678.04 घनमीटर/49891.68 टन अवैध खनन की कीमत रायल्टी का दो गुना अर्थात रू0 140 प्रति टन की दर से रू0 6984836 (रू0 उनसत्तर लाख चौरासी हजार आठ सौ छत्तीस) वसूलने की संस्तुति समिति के द्वारा की गयी है।

उक्त आंख्या के आधार पर कार्यालय के पत्र संख्या 62/30-जी.सी./2020-21 दिनाँक 07 जनवरी, 2022 द्वारा अवैध खननकर्ता उपरोक्त को नोटिस प्रेषित करते हुए नोटिस प्राप्ती के 15 दिवस के अन्दर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जो बाद तामील वापस प्राप्त है, परन्तु अवैधखननकर्ता द्वारा आतिथि तक अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि प्रकरण में अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक संख्या-1096/भू0ख0नि0इ0/अ0ख0/2022-23 दिनांक 16.11.2022 द्वारा संशोधित आंख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उपजिलाधिकारी कालाढूंगी के कार्यालय पत्रांक सं0 360/पी0ए0/शिविर/2021 दिनांक 28 दिसम्बर 2021 द्वारा श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम सेमलचौड़ तहसील

कालाढूंगी के पक्ष में स्वीकृत बेसमैन्ट अनुज्ञा स्थल में किये जा रहे अवैध खनन पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति आंख्या प्रेषित की गई थी जिसमें श्री करम सिंह पुत्र सुच्चा सिंह पर कुल 22,678.04 घनमीटर/49891.68 टन उपखनिज का अवैध खनन किये जाने पर रू0 140/- प्रतिटन की दर से रू0 69,84,836.00 जुर्माना वसूलने की संस्तुति की गई थी।

जिसके कम में उनके द्वारा इस सम्बन्ध में उक्त प्रेषित आंख्या में अर्थदण्ड, रायल्टी का तीन गुना की दर से लगाया जाना था परन्तु त्रुटिवश उक्त आंख्या में रायल्टी का दो गुना से ही आंगणित किया गया था। अतः उपरोक्त अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा 22,678.04 घनमीटर/49891.68 टन पर रायल्टी का तीन गुना अर्थात रू0 210/- प्रति टन की दर से रू0 1,04,77,253.00 अर्थदण्ड वसूलने की संस्तुति सहित आंख्या उपलब्ध करायी गयी है।

तद्नुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय के अवलोकनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

आपका उक्त कृत्य उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 23-सी में निहित प्राविधानो का उल्लंघन हैं।

अतः आप उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयान्तर्गत सन्तोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हाने पर उक्त संदर्भित शासनादेशों/अधिनियमों में निहित प्राविधानो के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(धीराज सिंह गर्ब्याल)
जिलाधिकारी,
नैनीताल

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

संख्या : 62 /30-जी.सी./2022-23 दिनांक : 20 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि :-

1- उप जिलाधिकारी, कालाढूंगी।
2- अपर निदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, जनपद नैनीताल।
3- तहसीलदार, कालाढूंगी को इस निर्देश के साथ प्रेषित, कि उक्त नोटिस की प्रति अवैध खननकर्ता उपरोक्त को यथाशीघ्र नियमतः तामील कराते हुये तामिलशुदा एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
नैनीताल

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल के अन्तर्गत नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु प्रपत्र एम0एम0 8 में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क स्वरूप रू0 5,000/– दिनांक 29.10.2021 को ई–चालान के माध्यम सें जमा किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1824/VII–A–1/2021/80–ख/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय 06 में दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 812/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 29.10.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 30.10.2021 की तिथि निर्धारित करते हुए, राजस्व विभाग, एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिंनाक 30.10.2021 को आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किंया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

<u>राजस्व विभाग की आख्या:–</u> श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल के नाप भूमि में समतलीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व अभिलेखानुसार वर्तमान खाता खतौनी संख्या 1426–1431फ0 के खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 रकवा 1.676है0 तथा खसरा न0 230/5/1, रकवा 0.316है0 भूमि वर्ग 1(क) संक्रमंणीय भूमिधरी में वीरोबाई पत्नी करतार सिंह के नाम दर्ज अभिलेख है, एवं उक्त ग्राम के खाता संख्या 85 के, खसरा न0 231/4/2 रकवा 1.474है0, खसरा न0 230/4 रकवा 0.917है0 भूमि सनविन्दर, मनिन्दर, पुत्रगण राम सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी राम सिंह के नाम श्रेणी 01 क में दर्ज अभिलेख है, व खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 रकवा 2.745है0 भूमि हरवंश लाल, हंशराज कम्बोज, दर्शन राम पुत्रगण चानन राम के नाम श्रेणी 01 क में संक्रमणीय भूमिधरि में संयुक्त रूप से दर्ज अभिलेख है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसर खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा न0 231/4/2 एवं खसरा न0 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि मध्ये 2.430है0 (लम्बई 162 मीटर x चौडाई 150मी0) क्षेत्र समतलीकरण किय जाने हेतु उपयुक्त हैं, जोकि भूमि उबाड–खाबड है उपरी मृदा में छोटे–छोटे पत्थर विद्यमान है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। भूस्वामियों द्वारा शपथ पत्र संख्या IN-UK51845908074823T दिनांक 29.10.2021 के द्वारा आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह को भूमि समतलीकरण किये जाने हेतु खनन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु

सहमति प्रदान की गयी है। आवेदित भूमि खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा न0 231/4/2 एवं खसरा न0 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि मध्ये 2.430है0 भूमि (लम्बई 162 मीटर X चौडाई 150मी0) आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि नदी तल से बाहर स्थित है।

आवेदित क्षेत्र, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, से 10 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

आवेदित स्थल की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरब में – मुख्तार सिंह आदि की भूमि

पश्चिम में – श्री मुकेश चन्द्र एवं श्रीमती सत्यभामा के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत मत्स्य तालाब खनन अनुज्ञा स्थल।

उत्तर में – मनविन्दर सिंह आदि की भूमि।

दक्षिण में– आवेदित स्थल से 22 मीटर से अधिक की दूरी पर श्री कृपाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत बेसमैन्ट खनन अनुज्ञा स्थल ।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्याः–

आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल निजी नाप भूमि के खसरा न0 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि में आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– दिनांक 14.09.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है। आवेदित स्थल में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त सीमांकन के दौरान क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भाव्य होने की दशा में आवेदक को मान्य होगा।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा न0 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 मध्ये 2.430है0 (162मी0×150मी0) भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खसरों एवं स्थल की पुष्टि करने के उपरान्त सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र अनुसार 2.430 है0 क्षेत्र खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है। जिसमें आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उपखनिज निकासी की अनुमति चाही गयी है। जिसमें 15 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर **(162X150मी0X15मी0)** स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए **कुल 583200 घनमीटर** उपखनिज(आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/– प्रति घनमीटर की दर से **रू0 08,98,12,800** (आठ करोड, अठानब्बे लाख बारहा हजार आठ सौ मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू **01,34,71,920** (एक करोड चौतिस लाख इकहत्तर हजार नौ सो बीस रू0 मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 **17,96,256/–** (रु0 सत्राह लाख छियानब्बे हजार दो सौ छप्पन मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 **2,24,53,200** (दो करोड

चौबीस लाख त्रेपन हजार दो सौ मात्र) को जिला खनिज फाउनडेशन न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैक हल्द्वानी के निर्धारित खाता स0–40331461741 में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग –1 अधिसूचना संख्या 1822/VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा निमलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1088 दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट– 9 के बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नही होगी। उक्त के अतिरिक्त ईट मिट्टी एवं सडक भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नही आयेगी, जब तक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर मिट्टी मक आदि की निकासी पर नियामानुसार रायलटी एवं अन्य शुल्क देय होगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशंक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिर्क इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि है। अतः शासनादेश सं0 1822/ VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा:–

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– खनन अनुज्ञा के स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5– यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

6– समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

7– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

8– यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

9– आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र... पुक्षेत्र बेलपड़ाव तहसील...	सर्वेक्षक हल्द्वानी	संयुक्त निदेशक (खनन) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल	उपजिलाधिकारी कालाढूंगी

8. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः (1)/VII-A-1/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, ग्राम पत्तापानी, तहसील कालाढूँगी, जनपद नैनीताल।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

संख्या–2161 /VII-A-1/2021–05(84)/2021

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2021

विषयः श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी–ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष मे जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल रकवा 7.128 है0 मध्ये 2.430 है0 भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3572/खनन/भू0खनि0ई0/उ0सि0न0/2021–22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–3 मे किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी–ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल रकवा 7.128 है0 मध्ये 2.430 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी रू0 8,98,12,800/–, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 1,34,71,920/– तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 17,96,256/– तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन की धनराशि रू0 2,24,53,200/– का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. अनुज्ञा स्वीकृति मे सहमति प्राप्त क्षेत्र/भूमि के बन्धक मुक्त होने के उपरान्त भी उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य मे किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।

क्रमशः.........

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, एन0जी0टी0 द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001, (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडे।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2161 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम गुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड,, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल अन्तर्गत नाप भूमि में समतलीकरण की खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में खसरा संख्या 168, 169, 170, 171, कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 निजी नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु प्रपत्र एम0एम0 8 में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क स्वरूप रू0 5,000/– दिनांक 19.11.2021 को ई–चालन के माध्यम से जमा किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1824/VII–A–1/2021/80–ख/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय 06 में दिये गये प्रविधानों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 1063/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 07.12.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 10.12.2021 की तिथि निर्धारित करते हुए, राजस्व विभाग, एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक 10.12.2021 को आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

<u>राजस्व विभाग की आख्या:–</u> आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि के खसरा संख्या 168, 169, 170, 171, कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 भूमि में आवेदन किया गया है। जिसमे स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसार खसरा संख्या 168 रकवा 0.503है0, खसरा न0 169 रकवा 0.582है0, खसरा संख्या 170 रकवा 0.633है0 इस प्रकार कुल रकवा 1.718 में से मध्ये रकवा 0.800है0 भूमि पर (100मी0×80मी0) क्षेत्र समतलीकरण किय जाने हेतु उपयुक्त है, जोकि भूमि उबाड–खाबड है उपरी मृदा में छोटे–छोटे पत्थर विद्यमान है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। राजस्व अभिलेखानुसार प्रस्तावित भूमि श्री भूवन चन्द्र पुत्र श्री पीताम्बर, श्री किशनराम पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रलाल के नाम से उद्धरण खतौनी मे अंकित है जो श्रेणी 1 (क) नाम से भूमि अभिलेखों में अंकित है। जिसमें भूस्वामि. द्वारा शपथ पत्र संख्या IN-UK56091262170056T दिनांक 26.10.2021 के द्वारा आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह को भूमि समतलीरकण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। आवेदित भूमि खसरा संख्या 168, 169, 170, कुल रकवा 1.718है0 मध्ये रकवा 0.800है0 (100मी0×80मी0)

आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि एक संहत खण्ड में है जो नदी तल से बाहर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से 50 मीटर की दूरी पर आबादी स्थित है, संलग्न खतौनी में खातेदारों के नाम बंधक का इन्द्रजांत दर्ज कागजात है।

आवेदित क्षेत्र, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, से 10 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

आवेदित स्थल की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरब में –	खसरा संख्या 169 एवं 170 का अवशेष भाग तत्पश्चात् गूल।
पश्चिम में –	खसरा संख्या 169 एवं 170 का अवशेष भाग।
उत्तर में –	खसरा संख्या 171 एवं अन्य खातेदारों की भूमि।
दक्षिण में–	खसरा संख्या 167 एवं अन्य खातेदारों की भूमि।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्या:–

आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल निजी नाप भूमि के खसरा संख्या 168, 169, 170, 171 कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 क्षेत्रफल में निजी नाप भूमि में उपखनिज की निकासी हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– दिनांक 19.11.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी-नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा संख्या 168,169,170, कुल रकवा 1.718है0 मध्ये रकवा 0.800है0 भूमि राजस्व विभाग द्वारा खसरों की पुष्टि करने के उपरान्त सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र अनुसार 0.800 है0 क्षेत्र ही खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है। जिसमें आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार **10 मीटर** गहराई तक उपखनिज निकासी की अनुमति चाही गयी है। जिसमें 10 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर **(100X80मी0X10मी0)** स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए **कुल 128000 घनमीटर** उपखनिज (आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/– प्रति घनमीटर की दर से रू0 01,97,12,000 (एक करोड, सतानब्बे लाख बारहा हजार मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू **29,56,800/–** (उन्तीस लाख छप्पन हजार आठ सौ रू0 मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 **03,94,240/–** (रू0 तीन लाख चौरानब्बे हजार दो सौ चालिस मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 **49,28,000** (उडपन्चास लाख अठाईस हजार रू0 मात्र) को जिला खनिज फाउनडेशन

न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी के निर्धारित खाता स0–40331461741 में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग –1 अधिसूचना संख्या 1824/VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा निमलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1088 दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट– 9 के बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नही होगी। उक्त के अतिरिक्त ईट मिट्टी एवं सडक भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नही आयेगी, जब तक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर मिट्टी मक आदि की निकासी पर नियामानुसार रायलटी एवं अन्य शुल्क देय होगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिर्क इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी प्राविधानित है।

अतः शासनादेश सं0 1824/ VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगाः–

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– खनन अनुज्ञा के स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5– यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

6– समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

7– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

8– यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

9– आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बैलपड़ाव	सर्वेक्षक हल्द्वानी	अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल	उपजिलाधिकारी कालाढूंगी

संख्या–2161 /VII-A-1/2021–05(84)/2021

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2021

विषयः श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी–ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष मे जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल रकवा 7.128 है0 मध्ये 2.430 है0 भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3572/खनन/भू0खनि0ई0/उ0सि0न0/2021–22, दिनांक 07.12.2021 द्वारा संस्तुति सहित उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–3 में किये गये अतिरिक्त प्रावधानानुसार आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी–ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर के पक्ष में जनपद नैनीताल की तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के खसरा संख्या 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1, कुल रकवा 7.128 है0 मध्ये 2.430 है0 भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिजों की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
2. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
3. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 5,83,200 घनमीटर आर0बी0एम0 की रायल्टी रू0 8,98,12,800/–, 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू0 1,34,71,920/– तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 17,96,256/– तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन की धनराशि रू0 2,24,53,200/– का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. अनुज्ञा स्वीकृति में सहमति प्राप्त क्षेत्र/भूमि के बन्धक मुक्त होने के उपरान्त भी उपखनिजों की निकासी की जायेगी।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है, तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जोकि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।

क्रमशः.........

-2-

8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार-बाढ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान-माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा० उच्च न्यायालय नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, एन०जी०टी० द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2021 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2161 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. संयुक्त निदेशक/मुख्य खान अधिकारी, कुमायूं परिक्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह, निवासी-ग्राम गुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव।

Ann-18

<u>संयुक्त निरीक्षण आख्या</u>

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल के अन्तर्गत नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री सतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु प्रपत्र एम0एम0 8 में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 29.10.2021 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क स्वरूप रू0 5,000/– दिनांक 29.10.2021 को ई–चालान के माध्यम से जमा किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1824/VII–A–1/2021/80–ख/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय 06 में दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 812/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 29.10.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 30.10.2021 की तिथि निर्धारित करते हुए, राजस्व विभाग, एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक 30.10.2021 को आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किंया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

<u>राजस्व विभाग की आख्या:–</u> श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल के नाप भूमि में समतलीकरण किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। राजस्व अभिलेखानुसार वर्तमान खाता खतौनी संख्या 1426–1431फ0 के खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 रकवा 1.676है0 तथा खसरा न0 230/5/1, रकवा 0.316है0 भूमि वर्ग 1(क) संक्रमंणीय भूमिधरी में वीरोबाई पत्नी करतार सिंह के नाम दुर्ज अभिलेख है, एवं उक्त ग्राम के खाता संख्या 85 के, खसरा न0 231/4/2 रकवा 1.474है0, खसरा न0 230/4 रकवा 0.917है0 भूमि सनविन्दर, मनिन्दर, पुत्रगण राम सिंह तथा सुरजीत कौर पत्नी राम सिंह के नाम श्रेणी 01 क में दर्ज अभिलेख है, व खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 रकवा 2.745है0 भूमि हरवंश लाल, हंशराज कम्बोज, दर्शन राम पुत्रगण चानन राम के नाम श्रेणी 01 क में संक्रमणीय भूमिधरि में संयुक्त रूप से दर्ज अभिलेख है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसर खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा न0 231/4/2 एवं खसरा न0 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि मध्ये 2.430है0 (लम्बई 162 मीटर x चौडाई 150मी0) क्षेत्र समतलीकरण किय जाने हेतु उपयुक्त है, जोकि भूमि उबाड–खाबड है उपरी मृदा में छोटे–छोटे पत्थर विद्यमान है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। भूस्वामियों द्वारा शपथ पत्र संख्या IN-UK51845908074823T दिनांक 29.10.2021 के द्वारा आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह को भूमि समतलीकरण किये जाने हेतु खनन अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु

सहमति प्रदान की गयी है। आवेदित भूमि खाता संख्या 78 के खसरा न0 231/5 एवं 230/5/1, खाता संख्या 85 के खसरा न0 231/4/2 एवं खसरा न0 230/4 एवं खाता संख्या 29 के खसरा न0 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि मध्ये 2.430है0 भूमि (लम्बई 162 मीटर x चौडाई 150मी0) आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि नदी तल से बाहर स्थित है।

आवेदित क्षेत्र, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, से 10 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आंदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

आवेदित स्थल की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरब में – मुख्तार सिंह आदि की भूमि

पश्चिम में – श्री मुकेश चन्द्र एवं श्रीमती सत्यभामा के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत मत्स्य तालाब खनन अनुज्ञा स्थल।

उत्तर में – मनविन्दर सिंह आदि की भूमि।

दक्षिण में– आवेदित स्थल से 22 मीटर से अधिक की दूरी पर श्री कृपाल सिंह के पक्ष में स्वीकृत बेसमैन्ट खनन अनुज्ञा स्थल ।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्या:–

आवेदक श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री संतोख सिंह निवासी ग्राम मुण्डिया मनी, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल निजी नाप भूमि के खसरा न0 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 भूमि में आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– दिनांक 14.09.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है। आवेदित स्थल में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त सीमांकन के दौरान क्षेत्रफल में परिवर्तन सम्भाव्य होने की दशा में आवेदक को मान्य होगा।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा न0 231/5, 230/5/1, 231/4/2, 230/4, 231/3/1 कुल भूमि 7.128है0 मध्ये 2.430है0 (162मी0×150मी0) भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खसरों एवं स्थल की पुष्टि करने के उपरान्त सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र अनुसार 2.430 है0 क्षेत्र खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है। जिसमें आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के **अनुसार** 15 मीटर गहराई तक उपखनिज निकासी की अनुमति चाही गयी है। जिसमें 15 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर **(162X150मी0X15मी0)** स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए कुल 583200 **घनमीटर** उपखनिज(आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/–, प्रति घनमीटर की दर से **रू0 08,98,12,800** (आठ करोड, अठानब्बे लाख बारहा हजार आठ सौ मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू **01,34,71,920** (एक करोड चौतिस लाख इकहत्तर हजार नौ सो बीस रू0 मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 **17,96,256/–** (रु0 सत्राह लाख छियानब्बे हजार दो सौ छप्पन मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 **2,24,53,200** (दो करोड

चौबीस लाख त्रेपन हाजर दो सौ मात्र) को जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैक हल्द्वानी के निर्धारित खाता स0–40331461741 में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग –1 अधिसूचना संख्या 1822/VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा निमलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1088 दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट– 9 के बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नही होगी। उक्त के अतिरिक्त ईट मिट्टी एवं सडक भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नही आयेगी, जब तक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर मिट्टी मक आदि की निकासी पर नियामानुसार रायलटी एवं अन्य शुल्क देय होगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिर्क इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार आवेदित स्थल नदी तल से लगी निजी नाप भूमि से भिन्न निजी नाप भूमि है। अतः शासनादेश सं0 1822/ VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा:–

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– खनन अनुज्ञा के स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5– यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

6– समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

7– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

8– यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

9– आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक	सर्वेक्षक	संयुक्त निदेशक (खनन)	उपजिलाधिकारी
	हल्द्वानी	भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल	कालाढूंगी

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ... तहसील ...

संख्याः 28 /VII-A-1/2021/5(13)/22

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 05 जनवरी, 2022

विषयः श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4156/खनन/भू०खनि०ई०/उ०सिं०न०/2021–22, दिनांक 05 जनवरी, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम–3 के अतिरिक्त प्रावधानानुसार श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर को जनपद नैनीताल, तहसील कालाढूंगी के ग्राम सेमलचौड के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 168, 169, 170 कुल रकवा 1.718 है० मध्ये रकवा 0.800 है० निजी नाप भूमि में समतलीकरण से निकलने वाले उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) की निकासी हेतु 06 माह की अल्पावधि की अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. प्रश्नगत भूमि में सहमति प्राप्त भूमि के बंधक मुक्त होने के उपरान्त ही उपखनिज की निकासी की जायेगी।
2. प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन/पिलरबन्दी नियम–17 के अनुसार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के द्वारा राजस्व विभाग की उपस्थिति में किया जायेगा।
3. खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि सीमाबन्धित खनन क्षेत्र में स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने की पुष्टि के उपरान्त ही ई–रवन्ना प्रपत्र अनुज्ञाधारक को निर्गत किया जायेगा।
4. प्रश्नगत आवेदित क्षेत्र में 1,28,000 घनमीटर आर०बी०एम० की रायल्टी रू 1,97,12,000/– रू एक करोड़ सत्तानब्बे लाख बारह हजार मात्र), 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क रू 29,56,800/– (रू उनतीस लाख छप्पन हजार आठ सौ मात्र) तथा 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू 3,94,240/– (रू तीन लाख चौरानब्बे हजार दो सौ चालीस मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि रू 49,28,000/–(रू उनपचास लाख अट्ठाईस हजार मात्र) का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा तथा जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित करना होगा।
5. यदि उपखनिज निकासी के कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो स्थल से स्वीकृत कार्य के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, जो कि आवेदक को मान्य होगी।
6. अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य किये जाने की दशा में अनुज्ञाधारक के विरूद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

7. अनुज्ञाधारक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित गहराई तक भूमि समतलीकरण कार्य किया जायेगा।
8. अनुज्ञाधारक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अनुज्ञा क्षेत्र के चारों ओर चाहरदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा, जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।
9. समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी, जो कि मान्य होगी।
10. आवेदित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।
11. अनुज्ञाधारक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, मा० उच्चतम न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
12. अनुज्ञाधारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों को कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
13. अनुज्ञाधारक उपखनिज की निकासी इस रीति से करेगा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्याः 28 (1)/VII-A-1/2021 तददिनांकित।
प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. जिला खान अधिकारी, नैनीताल।
3. श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह, निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर, जनपद उधमसिंहनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

Ann-20

<u>संयुक्त निरीक्षण आख्या</u>

श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड,, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल अन्तर्गत नाप भूमि में समतलीकरण की खनन अनुज्ञा चाहने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में खसरा संख्या 168, 169, 170, 171, कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 निजी नाप भूमि में समतलीकरण/खनन अनुज्ञा चाहने हेतु प्रपत्र एम0एम0 8 में आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2021 को प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क स्वरूप रू0 5,000/– दिनांक 19.11.2021 को ई–चालन के माध्यम सें जमा किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1824/VII–A–1/2021/80–ख/16 दिनांक 28 अक्टूबर 2021 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अध्याय 06 में दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 1063/भू0खनि0ई0/खनन अनुज्ञा/2021–22 दिनांक 07.12.2021 द्वारा संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 10.12.2021 की तिथि निर्धारित करते हुए, राजस्व विभाग, एवं खनन विभाग के द्वारा आवेदक/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिंनाक 10.12.2021 को आवेदित स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

<u>राजस्व विभाग की आख्या:–</u> आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल में निजी नाप भूमि के खसरा संख्या 168, 169, 170, 171, कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 भूमि में आवेदन किया गया है। जिसमे स्थलीय निरीक्षण के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा दिखाये गये स्थल के अनुसार खसरा संख्या 168 रकवा 0.503है0, खसरा न0 169 रकवा 0.582है0, खसरा संख्या 170 रकवा 0.633है0 इस प्रकार कुल रकवा 1.718 में से मध्ये रकवा 0.800है0 भूमि पर (100मी0×80मी0) क्षेत्र समतलीकरण किय जाने हेतु उपयुक्त है, जोकि भूमि उबाड–खाबड है उपरी मृदा में छोटे–छोटे पत्थर विद्यमान है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र खसरा, खसरा खतौनी उपलब्ध करायी गई है। राजस्व अभिलेखानुसार प्रस्तावित भूमि श्री भूवन चन्द्र पुत्र श्री पीताम्बर, श्री किशनराम पुत्र श्री गंगाराम एवं श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रलाल के नाम से उद्धरण खतौनी मे अंकित है जो श्रेणी 1 (क) नाम से भूमि अभिलेखों में अंकित है। जिसमें भूस्वामि. द्वारा शपथ पत्र संख्या IN-UK56091262170056T दिनांक 26.10.2021 के द्वारा आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह को भूमि समतलीरकण किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। आवेदित भूमि खसरा संख्या 168, 169, 170, कुल रकवा 1.718है0 मध्ये रकवा 0.800है0 (100मी0×80मी0)

आवेदित क्षेत्र जो संहत खण्ड में है, खनन अनुज्ञा हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में जिसमें कोई विवाद नहीं है। उक्त आवेदित भूमि एक संहत खण्ड में है जो नदी तल से बाहर स्थित है। प्रस्तावित भूमि से 50 मीटर की दूरी पर आबादी स्थित है, संलग्न खतौनी में खातेदारों के नाम बंधक का इन्द्रजांत दर्ज कागजात है।

आवेदित क्षेत्र, नदी, पुल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, बांध/नहर से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर, सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, से 10 मीटर से अधिक, मन्दिर से 100 मीटर से अधिक, श्मशान आदि से 100 मीटर से अधिक, स्कूल से 100 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

आवेदित स्थल की चौहद्दी निम्न प्रकार है।

पूरब में – खसरा संख्या 169 एवं 170 का अवशेष भाग तत्पश्चात् गूल।
पश्चिम में – खसरा संख्या 169 एवं 170 का अवशेष भाग।
उत्तर में – खसरा संख्या 171 एवं अन्य खातेदारों की भूमि।
दक्षिण में– खसरा संख्या 168 एवं अन्य खातेदारों की भूमि।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की आख्याः–

आवेदक श्री सुखराज सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर द्वारा ग्राम सेमलचौड, भाबर कोट, तहसील कालाढूगी, जिला नैनीताल निजी नाप भूमि के खसरा संख्या 168, 169, 170, 171 कुल रकवा 2.205है0 मध्ये रकवा 1.0176है0 क्षेत्रफल में निजी नाप भूमि में उपखनिज की निकासी हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा खनन अनुज्ञा शुल्क रू0 5000/– दिनांक 19.11.2021 के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करा दिया गया है। आवेदित क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहन पहुंच मार्ग उपलब्ध है। प्रस्तावित स्थल के समीप कोई भी खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत/कार्यरत नहीं है, स्थल के समीप वर्तमान में कोई भी धर्मकांटा स्थापित नहीं है।

मौका निरीक्षण में प्रस्तावित स्थल निजी नाप भूमि के रूप में देखा गया है, जो कि ऊबड–खाबड है। प्रस्तावित स्थल के चारों ओर प्रार्थी एंव अन्य कृषकों की निजी नाप भूमि अवस्थित है।

आवेदित भूमि के खसरा संख्या 168,169,170, कुल रकवा 1.718है0 मध्ये रकवा 0.800है0 भूमि राजस्व विभाग द्वारा खसरों की पुष्टि करने के उपरान्त सत्यापित एवं चिन्हांकित मानचित्र अनुसार 0.800 है0 क्षेत्र ही खनन अनुज्ञा हेतु उपयुक्त है। जिसमें आवेदक द्वारा इस कार्यालय में दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार 10 मीटर गहराई तक उपखनिज निकासी की अनुमति चाही गयी है। जिसमें 10 मीटर गहराई तक उपखनिज हटाने पर **(100X80मी0X10मी0)** स्वेल फैक्टर 1.6 मानते हुए **कुल 128000 घनमीटर** उपखनिज (आर0बी0एम0) निकलने की सम्भावना है, जिसकी रायल्टी रू0 154/– प्रति घनमीटर की दर से रू0 01,97,12,000 (एक करोड, सतानब्बे लाख बारहा हजार मात्र) देय होती है। इसके अतिरिक्त निर्धारित कुल रायल्टी का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आदि रू 29,56,800/– (उन्तीस लाख छप्पन हजार आठ सौ रू0 मात्र) तथा 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क रू0 03,94,240/– (रू0 तीन लाख चौरानब्बे हजार दो सौ चालिस मात्र) तथा रायल्टी का 25 प्रतिशतरू0 49,28,000 (उडपन्चास लाख अठाईस हजार रू0 मात्र) को जिला खनिज फाउनडेशन

न्यास–नैनीताल के निर्धारित भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी के निर्धारित खाता स0–40331461741 में आवश्यक रूप से जमा कराना होगा।

उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 54 के अनुसार स्वामित्व की राशि को आवेदक द्वारा एक मुस्त जमा करना होगा और निर्धारित समय के अन्तर्गत अनुज्ञाधारक उपखनिजों को नहीं हटा लेता है, तो निकाला गया समस्त उपखनिज को जब्त कर लिया जायेगा एवं जमा धनराशि वापस नहीं किये जाने का प्राविधान है। उक्त अनुज्ञा की समयावधि अधिकतम छः माह होगी।

सादर अवगत कराना है, कि उत्तराखण्ड शासन औधोगिक विकास अनुभाग –1 अधिसूचना संख्या 1824/VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के द्वारा निमलिखित अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:–

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1088 दिनांक 28.03.2020 के परिशिष्ट– 9 के बिन्दु संख्या 3 एवं बिन्दु संख्या 13 के प्रावधानान्तर्गत नदी/सहायक नदी/गदेरों के तल से लगी एवं उक्त से भिन्न निजी नाप भूमि के समतलीकरण, वाटर स्टोरेज टैंक, रिसाईक्लिंग टैंक, मत्स्य तालाब आदि निर्माण क्रियाकलाप को गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित करते हुए उक्त गैर खननकारी क्रियाकलाप हेतु पर्यावरणीय अनुमति की आवश्यक्ता नही होगी। उक्त के अतिरिक्त ईट मिट्टी एवं सडक भरान हेतु साधारण मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नही आयेगी, जब तक की खनन स्थल की गहराई 02 मीटर से अधिक न हो। इन क्रियाकलापों से निकासी किये गये उपखनिज यथा बालू, बजरी, बोल्डर मिट्टी मक आदि की निकासी पर नियामानुसार रायलटी एवं अन्य शुल्क देय होगे। इस हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज परिहार नियामावली 2001 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत आवेदन जिला खान अधिकारी/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति द्वारा स्थलीय संयुक्त निरीक्षण आख्या जिला खान अधिकारी द्वारा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक भूतत्व एवं खनिर्क इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी प्राविधानित है।

अतः शासनादेश सं0 1824/ VII-A-1/2021/80–ख/16 दिनांक 28.10.2021 के अनुसार एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अध्याय 06 के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु आख्या विचारणार्थ/निर्णयार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

अनुज्ञा प्राप्ति की दशा में अनुज्ञाधारक को निम्न शर्तो का अनुपालन अनिवार्य होगा:–

1– आवेदक द्वारा स्वामित्व का भुगतान स्वीकृति प्राप्ति के उपरान्त एक मुश्त जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति इस कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रेषित करेगा। निकासी की मात्रा एम0एम0–12 में दर्ज कर जिलाधिकारी कार्यालय व इस कार्यालय को सूचनार्थ देनी होगी।

2– स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय–समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– खनन अनुज्ञा के स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने उपरान्त राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन किया जाना आवश्यक होगा।

4– किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग समतलीकरण के दौरान किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

5– यदि समतलीकरण के दौरान स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।

6– समतलीकरण करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी जो कि मान्य होगी।

7– यदि आवेदक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।

8– यदि समतलीकरण के समय किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो समतलीकरण के दौरान निकले अवैध उपखनिज को सीज कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी जो कि आवेदक को मान्य होगी अन्यथा की स्थिति में इस संस्तुति को स्वतः ही निरस्त समझा जाये।

9– आवेदक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से समतलीकरण क्षेत्र के चारों ओर चारदीवारी या तार–बाढ़ लगाया जाना आवश्यक होगा जिससे कि अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके एवं जान–माल की सुरक्षा हो सके।

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बैंचपाड़ा	सर्वेक्षक हल्द्वानी	अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, नैनीताल	उपजिलाधिकारी कालाढूंगी